[2023] 7 एस. सी. आर 85

आय कर आयुक्त जयपुर

वी.

प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर।

(सिविल अपील सं। 7689-90 2022 का)

अप्रैल 24,2023

[एम. आर. शाह और एम. एम. सुंदरेश, जेजे।]

आय कर अधिनियम, 1961-एस को स्पष्टीकरण। 37 (1) ' एस में कोई भी व्यय। 37 - किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया व्यय/हानि जो एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, स्पष्टीकरण 1 के संदर्भ में कटौती योग्य नहीं है। 37 - उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

पियारा सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चांदी की छड़ें जब्त करने के नुकसान को व्यावसायिक नुकसान के रूप में स्वीकार किया-स्थिरता-आयोजितः एस के लिए टिकाऊ स्पष्टीकरण नहीं। 37 (1) यह प्रावधान करता है कि निर्धारिती द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी व्यय जो एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, एक स्वीकार्य व्यावसायिक व्यय नहीं है।

वर्तमान मामले में, निर्धारिती का मुख्य व्यवसाय चांदी का व्यापार था-उसके व्यवसाय को चांदी की छड़ की तस्करी नहीं कहा जा सकता है जैसा कि प्यारा सिंह में हुआ था-निर्धारिती एक अन्यथा वैध चांदी का व्यवसाय कर रहा था और अधिक लाभ कमाने के प्रयास में, वह चांदी की तस्करी में लिप्त था, जो कि कानून का उल्लंघन था जो उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह मामले पर भरोसा करने में गलती की थी-विवादित निर्णय ने निर्धारण अधिकारी, सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें प्रतिवादी के दावे को खारिज कर दिया गया-सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई चांदी की छड़ को व्यापार नुकसान के रूप में बहाल करने के लिए निर्धारिती-प्रति एम. एम. सुंदरेश। जे (पूरक) एस में उल्लिखित 'कोई भी व्यय'। 37 व्यवसाय के दौरान होने वाले अपने व्यापक नुकसान को लेता है, जो इसके लिए आकस्मिक है-इस प्रकार, एक के रूप में होने वाला कोई भी नुकसान

किसी निर्धारिती द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, स्पष्टीकरण 1 से धारा 1 के संदर्भ में कटौती योग्य नहीं है। 37 - जुर्माना या ज़ब्त एक कार्यवाही है, और इसलिए, व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना उसके अनुसरण में नुकसान कटौती के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जुर्माना या ज़ब्त को किसी भी व्यवसाय के लिए आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है -

पियारा सिंह और डॉ. टी. ए. कुरैशी के निर्णय हाजी अज़ीज़ के निर्णय और स्पष्टीकरण 1 को एस में शामिल करने के आलोक में सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं। 37 - विवादित निर्णय-वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1998-आयकर अधिनियम, 1922-एस. एस. 10 (1) , (2) .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अधिनियम के तहत धारा 37 (1) के प्रावधानों को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 द्वारा संशोधित किया गया है।

स्पष्टीकरण 1-डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1962 जिसमें निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी व्यय, जो अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, स्वीकार्य व्यावसायिक व्यय नहीं है। यह सच है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने इस प्रकार दावा किए गए व्यावसायिक खर्च के रूप में चांदी की छड़ें जब्त करने के मूल्य का दावा नहीं किया था

व्यावसायिक हानि के रूप में। हालांकि, धारा 37 में संशोधन हो सकता है इससे जुड़े मुद्दे पर कुछ असर पड़ता है। [पैरा 6.1] [98-सी-डी]

1.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने

केवल प्यारा सिंह के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने में भौतिक रूप से गलती की है। [पैरा 6.2] [98-ई]

सी. आई. टी. पटियाला बनाम प्यारा सिंह 124 आई. टी. आर. 4-आयोजित

अप्रयोज्य।

1.3 वर्तमान मामले में अब निर्धारिती के जब्त किए गए चांदी के डंडों के स्वामित्व पर विवाद नहीं किया जा सकता है और निर्धारिती भी इस पर विवाद नहीं कर रहा है। यहां तक कि उस पर भी सीमा शुल्क अधिकारियों सहित नीचे दिए गए सभी अधिकारियों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष हैं। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या निर्धारिती जब्त किए गए चांदी के बार के मूल्य के व्यावसायिक नुकसान का दावा कर सकता है और क्या प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू होगा? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में मुख्य व्यवसाय निर्धारिती चांदी में सौदा कर रहा है। उनके व्यवसाय को चांदी की छड़ की तस्करी नहीं कहा जा सकता है जैसा कि प्यारा सिंह के मामले में हुआ था। निर्धारिती के मामले में वह एक अन्यथा वैध चांदी का व्यवसाय कर रहा था और अधिक लाभ कमाने के प्रयास में, वह चांदी की तस्करी में लिप्त हो गया, जो नागरिक कानून का उल्लंघन था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय भरोसा किया है और निर्धारिती ने उस पर भरोसा किया है, आयकर आयुक्त जयपुर v पर लागू नहीं होगा।

प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर।

मामले के तथ्य। दूसरी ओर हाजी अज़ीज़ के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय जिन्हें पियारा सिंह में राजस्व द्वारा सेवा में लगाया गया था, पूरे बल के साथ लागू होंगे। [पैरा 6.7,6.8] [99-एच; 100-ए-डी]

हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स। वी. सी. आई. टी. ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 663: [1961] एस. सी. आर. 651-निर्भर।

सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी बनाम सी. आई. टी., (1973) 89 आई. टी. आर. 112 (ए. पी.); जे. एस. पारकर बनाम। वी. बी. पालेकर, (1974) 94 आईटीआर 616

(बम)-स्वीकृत।

1.4 उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारण को ध्यान में रखते हुए और निर्धारिती के व्यवसाय अर्थात् चांदी के व्यवसाय को देखते हुए और जो चांदी की तस्करी के व्यवसाय में नहीं था, प्यारा सिंह के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश द्वारा पारित आदेश को रद्द और रद्द कर दिया गया है।

निर्धारण अधिकारी, सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए चांदी के डंडों को व्यावसायिक नुकसान के रूप में मानने के निर्धारिती के दावे को खारिज कर दिया और इसके परिणामस्वरूप

समान रूप से व्यावसायिक नुकसान अस्थिर है और यह रद्द किए जाने और पक्ष रखने के योग्य है। [पैरा 7] [100-ई-एफ]

सी. आई. टी. पटियाला बनाम प्यारा सिंह, 1980 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 166: [1980] एस. सी. आर. 1122-लागू नहीं होता है।

चुहरमल बनाम। सी. आई. टी. (1988) 3 एस. सी. सी. 588 [1988] 3 एस. सी. आर. 788; सी. आई. टी. बनाम। के चिन्नाथम्बन (2007) 7 एस. सी. सी. 390: [2007] 8 एस. सी. आर. 496; टी. ए. कुरैशी (डॉ.) बनाम। सी. आई. टी. (2007) 2 एससीसी 759 [2006] 10 पूरक। एससीआर 311; एपेक्स

लैबोरेटरीज (पी) लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (2022) 7 एस. सी. सी. 98 -

संदर्भित किया गया।

प्रति एम. एम. सुंदरेश, जे. (पूरक)

1.1 स्पष्टीकरण-मैं किसी भी संभावित संदेह को दूर करने की घोषणा करता हूं ताकि नुकसान की गणना की जा सके।

किसी भी उद्देश्य के लिए व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है। यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि यह व्याख्या स्पष्ट करने वाली प्रकृति की है। बहुत स्पष्ट इरादे के साथ शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करना, [2023] 7 एस. सी. आर. देना।

आगे संदेह के लिए कोई जगह नहीं है, इस तथ्य के साथ कि इसमें कोई चुनौती नहीं है, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है। यह किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी खर्च की कटौती को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है। 'कोई भी' शब्दों को उचित सम्मान देना होगा। व्यय 'और' कोई भी उद्देश्य '। पुनरावृत्ति मुख्य प्रावधान का एक विधायी स्पष्टीकरण होने के कारण, एक स्पष्टीकरण पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे लोगों की शंकाओं को समझाने और दूर करने के लिए पेश किया गया है।

मुख्य प्रावधान, काफी सीमित है। [पैरा 12] [103-जी-एच; 104-ए-बी]

1.2 यद्यपि प्रावधान व्यय की बात करता है, लेकिन नुकसान का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं देता है, लेकिन किसी को स्वीकृत वाणिज्यिक व्यवहार और व्यापार सिद्धांतों को लागू करने के लिए दबाव डालना पड़ता है। यदि किसी को खर्च को एक वंश के रूप में मानना है, तो नुकसान एक प्रजाति बन जाएगी। सभी नुकसान व्यय बन जाएंगे लेकिन इसके विपरीत नहीं। किसी व्यवसाय के चलने से होने वाला वाणिज्यिक नुकसान और उसके कारण होने वाला आकस्मिक नुकसान एक कटौती योग्य नुकसान होगा। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नुकसान परीक्षण और अधिनियम की धारा 37 के तहत खर्च में समानता है। शायद, जब दोनों अवधारणाओं के लेखांकन उपचार की बात आती है तो एक अंतर होता है। इस प्रकार, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अधिनियम की धारा 37 में उल्लिखित 'कोई भी व्यय' शब्द इसके अंतर्गत आता है -

व्यापार के दौरान भी भारी नुकसान हुआ। इसलिए, मैं अपने विद्वान भाई के इस विचार से सहमत हूं कि

अधिनियम की धारा 37 और स्पष्टीकरण 1 का वर्तमान मामले में प्रभाव पड़ेगा। [पैरा 13] [104-सी-ई]

बद्रीदास डागा बनाम। सी. आई. टी., [1959] एस. सी. आर. 690-पर निर्भर था।

1.3 अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. और धारा 37 (1) के बीच थोड़ी सी परस्पर क्रिया दोनों प्रावधानों पर अधिक प्रकाश डाल सकती है। यदि किसी अपराध या निषिद्ध व्यवसाय के अनुसरण में नुकसान को अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. के तहत 68,69 और 69 ए से 69 डी के तहत निर्धारित आय के लिए नहीं लाया जा सकता है, जो अस्पष्ट आय, व्यय आदि से संबंधित है, तो यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि इसे अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत लाया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य कुछ संबंध के साथ अतिव्यापी है। धारा 115 बी. बी. ई. एक अनुवर्ती विधान होने के कारण, धारा 37 (1) का सही अर्थ उस आधार पर समझा जा सकता है।

[पैरा 17] [106-ए-सी] आय कर आयुक्त जयपुर बनाम। प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर।

1.4 निष्कर्ष -

व्यवसाय, इसके लिए आकस्मिक होना। II. परिणामस्वरूप, किसी निर्धारिती द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किए गए व्यय के रूप में किया गया कोई भी नुकसान जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, अधिनियम की धारा 37 के स्पष्टीकरण 1 के संदर्भ में कटौती योग्य नहीं है।

III. ऐसा व्यय/हानि जो किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो।

जो एक अपराध है, उसे व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से या उसके साथ आनुषंगिक रूप से किया गया नहीं माना जाएगा और इसलिए कोई कटौती नहीं की जा सकती है।

IV. जुर्माना या ज़ब्त एक कार्यवाही है, और इसलिए, उसी के अनुसरण में नुकसान के लिए उपलब्ध नहीं है। व्यवसाय की प्रकृति की परवाह किए बिना, जुर्माना या जब्ती के रूप में कटौती को किसी भी व्यवसाय के लिए आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है।

V. प्यारा सिंह और डॉ. टी. ए. कुरैशी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं इस न्यायालय ने हाजी अज़ीज़ में और धारा 37 में स्पष्टीकरण 1 को सम्मिलित किया। [पैरा 26] [132-एफ-एच; 133-ए-सी]

आयकर आयुक्त बनाम प्यारा सिंह, 1980 पूरक एस. सी. सी. 166 [1980] एस. सी. आर. 1122; डॉ. टी. ए. क्वेरेशी वी।

आयकर आयुक्त, भोपाल (2007) 2 एस. सी. सी. 759: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 311-सही कानून नहीं माना गया।
सी. आई. टी वी. एस. सी कोठारी, 1972 (4) एस. सी. सी. 402: [1972] 1 एससीआर

950 - अप्रयोज्य रखा गया।
हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स। वी. सीआईटी, [1961] 2 एससीआर

651 पर भरोसा किया।

सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी बनाम सी. आई. टी., (1973) 89 आई. टी. आर. 112 (ए. पी.); जे. एस. पारकर बनाम। वी. बी. पालेकर, (1974) 94 आई. टी. आर. 616 (बम)- अनुमोदित।

मकबूल हुसैन बनाम। बॉम्बे राज्य आदि [1953] एससीआर

730 संदर्भित किया गया।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

एम. आर. शाह जे. के निर्णय में

[1961] एससीआर 651

उस पर भरोसा करें

पैरा 3.1

[1988] 3 एससीआर 788

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2007] 8 एससीआर 496

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2006] 10 पूरक। एससीआर 311

पैरा 3.4

संदर्भित किया गया है

(2022) 7 एससीसी 98

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.4

[1980] एससीआर 1122

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 6

एम. एम. सुंदरेश के निर्णय में, जे.

[1980] एससीआर 1122

सही कानून नहीं माना गया पैरा 6

[1959] एससीआर 690

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[1961] 2 एससीआर 651

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[1972] 1 एससीआर 950

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 21

[1953] एससीआर 730

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22.1

[2006] 10 पूरक। एससीआर 311

सही कानून नहीं माना गया

पै

रा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.7689।

7690 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 22.11.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2003 के डी. बी. आई. टी. ए. No.96 और 1996 के डी. बी. आई. टी. आर. सं. 6 में जयपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका।

ए. एस. जी., ए. के. श्रीवास्तव, सीनियर एड. , रुपेश कुमार

श्याम गोपाल, एस. ए. हसीब, दिव्यांश एच. राठी, सुश्री मोनिका बेंजामिन, सुश्री सुनीता शर्मा, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री सुप्रिया जुनेजा, परितोष गुप्ता, आदित्य

सिंगला, सुश्री ए. साहित्य वीणा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और डी. बी. आई. टी. ए. No.96/2003 और डी. बी. आई. टी. आर. सं. 6 में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.11.2016 का आदेश पारित किया गया। 1996 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को अनुमति दी है, राजस्व ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

आय कर आयुक्त जयपुर v. प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः

2.1 राजस्व निदेशालय द्वारा तलाशी ली गई

ए-11,12, सेक्टर-7, नोएडा में स्थित परिसर में खुफिया (डी. आर. आई.) अधिकारियों ने निर्धारिती श्री प्रकाश चंद लूनिया द्वारा किराए पर लिया। डी. आर. आई. ने 1397, चांदनी चौक, दिल्ली में निर्धारिती के व्यावसायिक परिसर से चांदी के 144 स्लैब और चांदी की दो सिल्लियां बरामद कीं। निर्धारिती को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। कलेक्टर, सीमा शुल्क ने माना कि निर्धारिती श्री प्रकाश चंद लूनिया चांदी/सर्राफा के मालिक हैं और इसके लेनदेन को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। सीमा शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली ने चांदी के उक्त 146 स्लैब को जब्त करने का आदेश दिया, जिसका वजन 4641.962 किलोग्राम था, जिसका मूल्य रु। 3. 06 करोड़। कलेक्टर सीमा शुल्क ने आगे श्री पर Rs.25 लाख का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 के तहत प्रकाश चंद लूनिया। द.

कलेक्टर ने माना कि संदर्भ के तहत चांदी तस्करी की प्रकृति की थी। 2.2 मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी ने पाया कि निर्धारिती इसकी प्रकृति की व्याख्या करने में सक्षम नहीं था।

और चांदी के अधिग्रहण का स्रोत जिसका वह मालिक है, इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए (जिसे इसके बाद अधिनियम, 1961 के रूप में संदर्भित किया गया है) के उपबंध लागू होंगे। इस संबंध में निवेश निर्धारिती की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं पाया गया था जो तत्कालीन निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किए गए थे। तदनुसार, निर्धारण अधिकारी ने एक मूल्यांकन आदेश पारित किया और अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए के तहत 909/- रुपये का जोड़ किया। निर्धारण आदेश के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों में, सी. आई. टी. (ए) ने निर्धारिती की अपील को खारिज कर दिया। व्यथित महसूस करते हुए निर्धारिती ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। आई. टी. ए. टी., जयपुर ने भी सी. आई. टी. (ए) के आदेश को बरकरार रखा, जहां तक धारा 69 ए का संबंध है, हालांकि, निर्धारिती की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई। जहां तक कुछ अन्य मामूली परिवर्धनों का संबंध है, आई. टी. ए. टी. ने कुछ मामूली अन्य परिवर्धनों को अलग रखा और मामले को नए सिरे से जांच के लिए ए. ओ. को भेज दिया। एओ रे

इस मुद्दे की जांच की गई और जोड़ा गया। सी. आई. टी. (ए) ने भी ए. ओ. के आदेश को बरकरार रखा। निर्धारिती ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष सी. आई. टी. (ए) द्वारा पारित नए आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी। आई. टी. ए. टी. ने दूसरे दौर में भी नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेश को बरकरार रखा। आई. टी. ए. टी. द्वारा कानून के निम्नलिखित प्रश्नों के साथ उच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया थाः

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में,

((i)

न्यायाधिकरण प्रावधानों का अर्थ और व्याख्या करने के बाद

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए में निहित यह अभिनिर्धारित करना कानूनी रूप से सही था कि निर्धारिती परिसर संख्या ए 11 और 12, सेक्टर-7, नोएडा में पाए गए 144 चांदी के डंडों और मेसर्स के परिसर में पाए गए दो चांदी के डंडों का मालिक था।

लूनिया एंड कंपनी दिल्ली और निरंतर जोड़ में

रुपये. 3,06,36,909/- हाथों में अस्पष्टीकृत निवेश है

अधिनियम की धारा 69 ए के तहत निर्धारिती का? यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो

((ख)

क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण प्यारा सिंह बनाम सी. आई. टी., 124 आई. टी. आर. 41 के मामले में उच्चतम न्यायालय के अपने लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित अनुपात में अंतर करने में कानूनी रूप से सही था और इस तरह चांदी की छड़ें जब्त करने के कारण नुकसान की अनुमति नहीं दे रहा था?

2.3 जबकि संदर्भ उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, निर्धारिती के खिलाफ दंड की कार्यवाही शुरू की गई थी। धारा के तहत एक आदेश 271 (i) (ग) अधिनियम की पुष्टि सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. दोनों द्वारा की गई। तदनुसार, निर्धारिती ने धारा 260 ए के तहत अपील दायर की।

उच्च न्यायालय के समक्ष दंड आदेश के विरुद्ध अधिनियम। उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों का एक साथ निर्णय लेते हुए, पहला प्रश्न पूछा,

राजस्व और निर्धारिती के किराये के परिसर के पक्ष में निर्णय लिया गया है, इसे स्वाभाविक परिणाम के रूप में उसकी आय में जोड़ा जाना है। हालांकि,

दूसरे प्रश्न के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग के डी. आर. आई. अधिकारी द्वारा जब्ती का नुकसान व्यवसाय है

हानि होती है। उच्च न्यायालय ने सी. आई. टी. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, पटियाला बनाम प्यारा सिंह ने 124 आई. टी. आर. 41 में रिपोर्ट दी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

3. राजस्व की ओर से श्री ए. एस. जी. श्री बलबीर सिंह पेश हुए और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद पेश हुए।

निर्धारिती की ओर से।

3.1 श्री बलबीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. की ओर से उपस्थित हुए।

राजस्व ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने में भौतिक रूप से गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. ओ., सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. ने आय कर आयुक्त जयपुर बनाम के निर्णय को सही ढंग से अलग किया है।

प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

प्यारा सिंह (उपर्युक्त) के मामले में, जैसा कि एक निर्धारिती से संबंधित है। जो मुद्रा नोटों की तस्करी के व्यवसाय में लगा हुआ था और जिसके लिए मुद्रा नोटों को जब्त करना उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में एक नुकसान था, यानी एक नुकसान जो सीधे उसके व्यवसाय को जारी रखने से उत्पन्न हुआ और इसके लिए आकस्मिक था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके कारण, उपरोक्त मामले में निर्धारिती को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (1) के तहत कटौती का हकदार ठहराया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि उपरोक्त निर्णय के पैरा 7 में जो तीन मामलों को संदर्भित करता है जहां न्यायालय द्वारा उपरोक्त नियम के अपवाद को नोट किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने इस न्यायालय के साथ-साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स के मामले में। वी. सी. आई. टी., ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 663, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई तारीखों को जारी करने के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए जुर्माने की कटौती के लिए निर्धारिती के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माने के रूप में भुगतान की गई राशि उसके द्वारा किया जाने वाला सामान्य व्यवसाय नहीं था। अन्य दो मामलों में सीमा शुल्क अधिकारियों ने कर निर्धारकों से सोना जब्त कर लिया था

अन्यथा वैध व्यवसायों में लगे हुए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो मामलों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मामलों पर भरोसा किया गया था अदालत में निर्धारिती ने जब्त किए गए सोने के मूल्य का दावा व्यापार/व्यावसायिक नुकसान के रूप में किया जो वर्तमान एसएलपी के तथ्यों में प्रत्यर्थी-निर्धारिती के दावे के समान है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इस निर्णय का

हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स में अदालत। वी. सी. आई. टी., ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 663, सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में। सी. आई. टी., (1973) 89 आई. टी. आर. 112 (ए. पी.) और जे. एस. पारकर बनाम बॉम्बे उच्च न्यायालय के मामले में। वी. बी. पालेकर, (1974) 94 आई. टी. आर. 616 (बी. ओ. एम.) मामले के तथ्यों पर पूरी ताकत से लागू होगा।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोनी हिंदूजी कुशलजी (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैरा 10 में टिप्पणी की।

कि जब कटौती का दावा किया जाता है, तो नुकसान वह होना चाहिए जो सीधे उस व्यवसाय से उत्पन्न होता है या उसके लिए आकस्मिक है जिसे निर्धारिती चलाता है, न कि हर प्रकार या प्रकार का नुकसान जिसका उसके व्यवसाय के साथ कोई संबंध या संबंध नहीं है। पैरा 11 और 12 में, उच्च न्यायालय ने यह कहने के लिए विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया कि निषिद्ध सोने की जब्ती व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि आर. ई. एम. में एक कार्रवाई है और इस प्रकार, आर. ई. एम. में एक कार्यवाही शब्द के सख्त अर्थों में संपत्ति (यानी, तस्करी किए गए सोने) के खिलाफ सीधे की गई कार्रवाई है और भले ही अपराधी का पता न हो।

सीमा शुल्क अधिकारियों के पास प्रतिबंधित सोने को जब्त करने की शक्ति है।

3] में 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त के दृष्टिकोण से, न्यायालय ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निषिद्ध सोने की जब्ती को निर्धारिती के व्यवसाय से जुड़ा या आकस्मिक व्यापार या वाणिज्यिक नुकसान नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे हाजी अज़ीज़ (उपरोक्त) और विभिन्न अन्य निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि तस्करी/वर्जित वस्तुओं की ऐसी जब्ती जिसके परिणामस्वरूप कानून का उल्लंघन होता है और इसका हाजी अज़ीज़ के व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। निर्धारिती को व्यावसायिक हानि के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, उपरोक्त मामला जिसे प्यारा सिंह (उपरोक्त) में संदर्भित और विशिष्ट किया गया है,

यहाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। इसी तरह, जे. एस. पारकर (उपरोक्त) का मामला भी वर्तमान मामले में लागू होगा क्योंकि पूर्व मामले में, निर्धारिती ने न केवल व्यापारिक नुकसान के रूप में जब्त किए गए सोने के मूल्य का दावा किया, बल्कि अघोषित स्रोतों से अपनी अनुमानित और निर्धारित आय के खिलाफ उक्त नुकसान का भुगतान भी किया। इसके अलावा, सोने के मूल्य पर कर लगाने की मांग की गई थी। कर अधिकारियों द्वारा धारा 69/69 क। हालांकि, इस मामले में भी बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 (जहां एक व्यक्ति को कब्जे में पाया जाता है)

किसी भी चीज के लिए, यह साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो यह पुष्टि करता है कि वह मालिक नहीं था) कराधान कार्यवाही के लिए लागू नहीं था और इस बात पर सहमत था कि कर अधिकारियों ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कर निर्धारिती को जब्त किए गए सोने का मालिक होने का सही अनुमान लगाया था और निर्धारिती व्यापारिक नुकसान के रूप में ऐसे सोने के मूल्य का दावा करने का हकदार नहीं था। 3.3 श्री बलबीर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. ने आगे चुहरमल बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। सी. आई. टी., (1988) 3 एस. सी. सी. 588 और सी. आई. टी. बनाम। के चिन्नाथम्बन, (2007) 7 एस. सी. सी. 390, स्वामित्व साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो स्वामित्व से इनकार करता है और जो कब्जे में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब्त की गई चांदी का स्वामित्व वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी-निर्धारिती पर पड़ता है जिसे वह निर्वहन करने में विफल रहा और जिसने तदनुसार कर अधिकारियों को समवर्ती बना दिया।

उसके स्वामित्व पर निष्कर्ष वैध होने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब निर्धारिती कब्जे और स्वामित्व से इनकार करने में असमर्थ रहा है और वास्तव में निपटान आयोग के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष इसे स्वीकार कर लिया है, और एओ, सीआईटी (ए) और आई. टी. ए. टी. के समक्ष व्यापारिक नुकसान के रूप में जब्त की गई चांदी के मूल्य का दावा किया है, तो वैकल्पिक रूप से इसके विपरीत बहस करने और स्वामित्व से इनकार करने के लिए यह कहने के लिए कि उसके मामले में धारा 69 ए लागू नहीं की जा सकती है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

3.4 विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती को भी व्यावसायिक व्यय के रूप में इस तरह के नुकसान का दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अधिनियम की धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण 1 के तहत निषेध व्यक्त करें जिसे आय कर आयुक्त जयपुर v.

प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

w.e.f.01.04 जोड़ा गया था। 1962 . टी. ए. कुरैशी (डॉ.) बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। सी. आई. टी., (2007) 2 एस. सी. सी. 759 के साथ-साथ एपेक्स लैबोरेटरीज (पी) लिमिटेड v. सी. आई. टी. (2022) 7 एस. सी. सी. 98. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 37 (1) का स्पष्टीकरण 1 किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी खर्च की स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं देता है जो एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, जिसे व्यवसाय/पेशे के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च के रूप में दावा किया जा सकता है।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. ए. कुरैशी (उपरोक्त) के मामले में, यह

अदालत ने स्पष्ट किया कि उक्त मामले के तथ्य व्यावसायिक नुकसान से संबंधित हैं न कि व्यावसायिक व्यय से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मामले में, आई. टी. ए. टी. ने निर्धारिती को हेरोइन के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में संलग्न पाया और इस प्रकार, इस अदालत ने माना कि निर्धारिती का व्यावसायिक नुकसान का दावा स्वीकार्य था क्योंकि वह हेरोइन के व्यवसाय में था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शीर्ष प्रयोगशाला (उपरोक्त) का मामला टी. ए. कुरैशी (उपर्युक्त) में निर्णय को अलग करता है और कहता है कि निर्धारिती द्वारा डॉक्टरों को रिश्वत देने से संबंधित मामला, व्यावसायिक नुकसान से नहीं बल्कि व्यावसायिक व्यय से संबंधित था जो स्पष्टीकरण 1 से धारा 37 (1) के तहत अस्वीकार्य था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार किसी भी तरह से, न तो प्रतिवादी-निर्धारिती कर सकता है

तस्करी व्यवसाय में नहीं होने के कारण होने वाले व्यावसायिक नुकसान का दावा करें और न ही वह व्यावसायिक व्यय का दावा कर सकते हैं क्योंकि यह धारा 37 (1) के स्पष्टीकरण 1 के तहत निषिद्ध है। 3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और आई. टी. ए. टी. आदेशों को बहाल किया जाए।

4. निर्धारिती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने जोर देकर कहा है कि वर्तमान मामले में

उत्तरदाता-निर्धारिती चांदी की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है। उत्तरदाता-निर्धारिती द्वारा विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए चांदी की कुल बिक्री 314/- रुपये घोषित की गई थी। डी. आर. आई. के अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई जब चांदी के बिना हिसाब के 146 स्लैब बरामद किए गए। सीमा शुल्क कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 69 ए के तहत मानित आय के रूप में जोड़ने के लिए 909/- रुपये मूल्य की चांदी के उक्त 146 स्लैब को पूरी तरह से जब्त करने का आदेश दिया। प्रत्यर्थी-निर्धारिती विवादित है

स्लैब के मालिक। वैकल्पिक रूप से, प्रत्यर्थी ने यह भी अनुरोध किया कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा चांदी के 146 स्लैब को पूरी तरह से जब्त कर लिया गया है, ऐसे व्यापार योग्य चांदी के स्लैब के मूल्य को नुकसान के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, मूल्यांकन अधिकारी ने [2023] 7 एस. सी. आर. को जोड़ा।

अधिनियम की धारा 69 ए के तहत आय के रूप में रु. 3,06,036,909/- प्रत्यर्थी के कब्जे से जब्त की गई चांदी की 146 छड़ें हैं। जोड़ के उक्त आदेश की पुष्टि आई. टी. ए. टी. तक की गई, हालांकि विवादित फैसले और आदेश से उच्च न्यायालय ने संदर्भ का जवाब दिया है। निर्धारिती के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि जब सामग्री का मूल्य प्रत्यर्थी की आय में जोड़ा जाता है, एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में,

उक्त सामग्री को जब्त करने से होने वाले नुकसान को व्यावसायिक नुकसान के रूप में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष, निर्धारिती ने सिल्वर स्लैब के स्वामित्व के संबंध में तर्क पर जोर नहीं दिया और इसलिए, उक्त प्रश्न का उत्तर उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया था। 4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए वर्तमान मामला वह है जहां किसी भी जुर्माने के खर्च के दावे के बजाय पूर्ण जब्ती के कारण नुकसान के रूप में 146 चांदी के स्लैब के मूल्य का दावा किया जाता है।

और/या कानून के उल्लंघन के लिए लगाया गया जुर्माना।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस निर्णय को देखते हुए वर्तमान अपीलों में मुद्दा निर्धारिती के पक्ष में उचित रूप से शामिल है।

टी. ए. कुरैशी (डॉ.) (ऊपर) के मामले में न्यायालय। उक्त निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि माल की पूर्ण जब्ती के कारण व्यावसायिक नुकसान के मामले में अधिनियम की धारा 37 को लागू करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती ने इसमें कहा है कि अधिनियम की धारा 37 व्यावसायिक व्यय से संबंधित है जबकि पूर्ण जब्ती का मामला व्यावसायिक नुकसान का एक मामला था

स्वीकार कर लिया गया।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, खोज करने पर, 146 चांदी

स्लैब निर्धारिती के कब्जे में पाए गए। उक्त चांदी के स्लैब का मूल्य रुपये निर्धारित किया गया था। 3,06,036,909 / - और इसे अधिनियम की धारा 69 ए के तहत निर्धारिती की आय की गणना में अघोषित मूल्यवान वस्तु के रूप में जोड़ा गया था जो निर्धारिती की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं था।

4.4 हालाँकि यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रत्यर्थी निर्धारिती चांदी के व्यापार के व्यवसाय में लगा हुआ था और उक्त चांदी के स्लैब व्यापार के उद्देश्य से निर्धारिती के कब्जे में थे, इसलिए उक्त चांदी के स्लैब की पूर्ण जब्ती के परिणामस्वरूप व्यापार में स्टॉक का नुकसान होगा और इसका मूल्य व्यापार/व्यापारिक नुकसान के रूप में कटौती के रूप में उपलब्ध होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए टी. ए. कुरैशी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से लागू होगा।

आय कर आयुक्त जयपुर v. प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. ए. कुरैशी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने खर्च के रूप में कटौती के दावे के बीच अंतर किया है।

उन वस्तुओं की जब्ती के कारण व्यावसायिक हानि के दावे के विरुद्ध जुर्माना/जुर्माना जो व्यापार में बेनामी स्टॉक हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

किसी भी जुर्माने और/या जुर्माने के खर्च के रूप में कटौती के दावे के मामले में, अदालतों ने माना है कि ऐसी कटौती के लिए उपलब्ध नहीं होगी निर्धारिती क्योंकि यह इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई के पीछे के उद्देश्य को विफल कर देगा। जबकि, व्यावसायिक हानि के रूप में जमा किए जाने के दावे के मामले में, बेनामी माल हालांकि निर्धारिती की आय में जोड़ा जाता है, लेकिन निर्धारिती को उसके व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के छूट का लाभ बढ़ाते हुए, इस न्यायालय ने प्यारा सिंह (सुप्रा) और टी. ए. कुरैशी (सुप्रा) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारिती का अधिकार होगा

व्यावसायिक हानि के रूप में सेट करें।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मोचन जुर्माना लगाने के मामले के विपरीत जहां जब्त किए गए माल को इस तरह के भुगतान पर जारी किया जाता है

राशि, माल की पूर्ण जब्ती के परिणामस्वरूप उक्त माल केंद्र सरकार के पास निहित हो जाता है। ऐसे मामलों में, हालांकि माल का मूल्य निर्धारिती की आय में जोड़ा जाता है, लेकिन निर्धारिती के पास माल को उसके आगे के व्यापार के लिए भुनाने का कोई विकल्प नहीं होता है। इस प्रकार, ऐसे मामले के बीच एक स्पष्ट अंतर है जहां किसी भी मामले में कटौती की मांग की जाती है।

अनुज्ञेय व्यय के रूप में जुर्माना और/या जुर्माना और एक ऐसा मामला जहां माल की पूर्ण जब्ती के कारण व्यावसायिक नुकसान का दावा किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में स्टॉक का नुकसान होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान एक मामला है

जहां चांदी की छड़ें पूरी तरह से जब्त करने के कारण होने वाले व्यावसायिक नुकसान के रूप में भुगतान का दावा किया जाता है, न कि किसी जुर्माने और/या जुर्माने के। याचिकाकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान उद्धृत निर्णय हैं:

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त विशिष्टता को वैधानिक रूप से भी मान्यता दी गई है। जैसा कि अपीलार्थी द्वारा रेखांकित किया गया है, धारा 37 जो भत्ता और व्यय की कटौती को वित्त अधिनियम, 1998 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसके तहत स्पष्टीकरण 1 को यह स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था कि किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया कोई भी व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, उसे व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए किया गया नहीं माना जाएगा और ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती या भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके विपरीत, पूरी तरह से जब्त किए गए व्यापार में बिना हिसाब के स्टॉक के मूल्य को निर्धारित करने के संबंध में जानबूझकर ऐसा कोई प्रतिबंध कानून में नहीं लाया गया है।

23] 7 एस सी आर।

4.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

अपीलें करें।

5. संबंधित पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना।

प्रतिवादी-निर्धारिती डी. आर. आई. द्वारा चांदी की छड़ें ज़ब्त करने का नुकसान सी. आई. टी. पटियाला बनाम प्यारा सिंह, 1980 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 166 के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए एक व्यावसायिक नुकसान के रूप में अधिकारी?

6.1 उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते समय, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिनियम के तहत धारा 37 (1) के प्रावधानों को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 द्वारा संशोधित किया गया है।

स्पष्टीकरण 1-डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.1962 जिसमें निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी व्यय, जो अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, स्वीकार्य व्यावसायिक व्यय नहीं है। यह सच है कि वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने चांदी की छड़ के मूल्य का दावा नहीं किया था

इस प्रकार व्यावसायिक व्यय के रूप में ज़ब्ती को व्यावसायिक नुकसान के रूप में दावा किया जाता है। हालाँकि, धारा 37 में संशोधन का इस मुद्दे पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।

शामिल हैं।

6.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह (उपरोक्त) के मामले में केवल इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। होने के नाते प्यारा सिंह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखने पर, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने में भौतिक रूप से गलती की है।

6.3 प्यारा सिंह (उपरोक्त) के मामले में निर्धारिती को मुद्रा नोटों की तस्करी के व्यवसाय में पाया गया और यह पाया गया कि मुद्रा नोटों को जब्त करना उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में एक नुकसान था, यानी एक नुकसान जो सीधे उनके व्यवसाय को जारी रखने से हुआ था और इसके लिए आकस्मिक था। इसके कारण, उक्त मामले में निर्धारिती को आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (1) के तहत कटौती का हकदार माना गया। उपरोक्त तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने प्यारा सिंह (उपरोक्त) के मामले में हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स के मामले में इस न्यायालय के फैसलों को अलग किया। ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 663 में रिपोर्ट किया गया, और सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी बनाम सोनी हिंदूजी एंड कंपनी के मामले में निर्णय।

सी. आई. टी., (1973) 89 आई. टी. आर. 112 (ए. पी.) और जे. एस. पारकर बनाम के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं थे। वी. बी. पालेकर, (1974 द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जयपुर बनाम।

प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

94 आईटीआर 616 (बम)। यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त सभी तीन मामलों में जिन पर पियारा सिंह के मामले में राजस्व द्वारा भरोसा किया गया था

(ऊपर दिए गए) वैध व्यवसायों में शामिल पाए गए और तस्करी के व्यवसाय में नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें कानून के विपरीत माल की तस्करी करते हुए पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कानून का उल्लंघन हुआ और परिणामस्वरूप

6.4 हाजी अज़ीज़ (उपरोक्त) के मामले में निर्धारिती ने जब्त की गई अपनी तारीखों को जारी करने के लिए उसके द्वारा दिए गए जुर्माने की कटौती का दावा किया। सीमा शुल्क अधिकारियों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माने के रूप में भुगतान की गई राशि उसके द्वारा किया जाने वाला सामान्य व्यवसाय नहीं था। सोनी हिंदूजी कुशलजी (ऊपर) और जे. एस. पारकर के मामले में

6.6 जे. एस. पारकर (उपरोक्त) के मामले में, निर्धारिती ने न केवल व्यापारिक नुकसान के रूप में जब्त किए गए सोने के मूल्य का दावा किया, बल्कि अघोषित स्रोतों से अपनी अनुमानित और निर्धारित आय के खिलाफ उक्त नुकसान का भुगतान भी किया। कर अधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 69/69 ए के तहत सोने के मूल्य पर कर लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्धारिती को तस्करी किए गए जब्त किए गए सोने का मालिक माना और निर्धारिती को व्यापारिक नुकसान के रूप में ऐसे सोने के मूल्य का दावा करने का अधिकार नहीं था। 6.7 वर्तमान मामले में अब निर्धारिती के जब्त किए गए चांदी के डंडों के स्वामित्व पर विवाद नहीं किया जा सकता है और निर्धारिती भी इस पर विवाद नहीं कर रहा है। यहां तक कि उस पर भी सीमा शुल्क अधिकारियों सहित नीचे दिए गए सभी अधिकारियों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष हैं।

6.8 उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में निर्धारिती का मुख्य व्यवसाय चांदी में लेनदेन करना है। बिनि। व्यवसाय को चांदी की छड़ की तस्करी नहीं कहा जा सकता है जैसा कि प्यारा सिंह (सुप्रा) के मामले में हुआ था। जैसा कि निर्धारिती के मामले में ऊपर देखा गया है कि वह एक अन्यथा वैध चांदी का व्यवसाय कर रहा था और अधिक लाभ कमाने के प्रयास में, वह चांदी की तस्करी में लिप्त था, जो कानून का उल्लंघन था। मामले के उस दृष्टिकोण में प्यारा सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय है

विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है और निर्धारिती द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया गया है मामले के तथ्यों पर लागू होता है। दूसरी ओर हाजी अज़ीज़ (1961) 41 आई. टी. आर. 350 (एस. सी.) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय।

जिन्हें पियारा सिंह (ऊपर) में राजस्व द्वारा सेवा में लगाया गया था, वे पूरी ताकत के साथ लागू होंगे।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए और निर्धारिती के व्यवसाय अर्थात् चांदी के व्यवसाय को देखते हुए और इसमें नहीं था

चांदी की तस्करी का व्यवसाय, प्यारा सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने निर्धारण अधिकारी, सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और खारिज कर दिया।

सीमा शुल्क अधिकारियों को व्यावसायिक नुकसान के रूप में और इसके परिणामस्वरूप अनुमति देने का मूल्य

समान रूप से व्यावसायिक नुकसान अस्थिर है और यह रद्द किए जाने और पक्ष रखने के योग्य है।

8.1 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए वर्तमान

अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है और मूल्यांकन अधिकारी, सी. आई. टी. (ए) और आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को इसके द्वारा बहाल किया जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. वर्तमान अपील राजस्व द्वारा दायर की गई है, जिसमें जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, आय कर आयुक्त जयपुर बनाम।

प्रकाश चैंड लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

किसी अवैध व्यवसाय में हुए नुकसान की कटौती के दावे के बीच अंतर करना, नुकसान के दावे के खिलाफ एक वैध व्यवसाय है, हालांकि इसके साथ एक अवैधता जुड़ी हुई है। उपरोक्त मुद्दे का परीक्षण किया जाना है

एक अपराध जो दंड या ज़ब्ती के लिए किया जाता है।

2. श्री बलबीर सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री ए. के. श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ सलाहकार और श्री ए.

अरिजीत प्रसाद, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील। 3. मैं अपने विद्वान भाई, न्यायमूर्ति एम. आर. शाह द्वारा दिए गए सराहनीय निर्णय से गुजरा हूं। अंतिम से सहमत होते हुए

उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटने के निष्कर्ष पर पहुँचकर, मैं उपरोक्त पहलू पर अपना तर्क देना चाहूँगा। मेरे विद्वान भाई द्वारा तथ्यों को अत्यंत स्पष्टता के साथ सुनाया जा रहा है, केवल वे ही दर्ज किए जा रहे हैं जो तर्क के समर्थन में आवश्यक हैं। 4. राजस्व खुफिया निदेशक ने प्रत्यर्थी/निर्धारिती के व्यावसायिक परिसरों में तलाशी ली। वसूली का फल मिला

सिल्वर स्लैब/सिल्वर इनगॉट्स। निर्धारिती आभूषण बनाने के व्यवसाय में था।

5. प्रत्यर्थी/निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1989-1990 के लिए अपना विवरणी दाखिल किया जिसके बाद आयकर निपटान के समक्ष एक याचिका दायर की गई आयोग। सीमा शुल्क कलेक्टर का वीडियो आदेश दिनांक 18.12.1990

माल को जब्त करने का आदेश दिया और जुर्माना लगाया। यह इस आधार पर किया गया था कि माल की तस्करी निर्धारिती द्वारा की गई थी। निर्धारिती द्वारा एक दावा किया गया था कि जब्ती के कारण होने वाला नुकसान स्वीकार्य होगा क्योंकि व्यापार नुकसान व्यवसाय के लिए आकस्मिक है, और इसलिए, कटौती योग्य है। इस तर्क को विधिवत खारिज कर दिया गया क्योंकि वह न तो तस्करी का व्यवसाय कर रहा था, न ही उसके पास चांदी थी। प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष स्वामित्व की याचिका को छोड़ दिया गया था, और इसलिए, आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 69 ए के तहत हुए नुकसान को लाने में मूल्यांकन अधिकारी का निर्णय अंतिम हो गया है। 6. उच्च न्यायालय के समक्ष, आय आयुक्त में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखने वाला प्रत्यर्थी/निर्धारिती

कर v. प्यारा सिंह (1980) सप. एस. सी. सी. 166 ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि तस्करी अपने आप में कानून द्वारा निषिद्ध होने के कारण, इसके तहत होने वाला कोई भी नुकसान कटौती के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त तर्क को स्वीकार किया गया उच्च न्यायालय के हाथों, जिसे हमारे समक्ष राजस्व द्वारा आक्षेपित करने की मांग की गई है।

" 2.परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX

XXX

XXX

(13) " "व्यवसाय" में कोई भी व्यापार, वाणिज्य या निर्माण या व्यापार, वाणिज्य या व्यापार की प्रकृति में कोई साहसिक कार्य या संस्था शामिल है।

उत्पादन; "

7. यह प्रावधान एक परिभाषा खंड होने के कारण केवल विभिन्न गतिविधियों को परिभाषित करता है जिन्हें व्यवसाय कहा जा सकता है। अधिनियम की धारा 2 (13) 'व्यवसाय' की व्यापक परिभाषा देती है। अधिनियम की धारा 28 के तहत आती है

शीर्षक 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ'। इसके तहत गणना की गई विभिन्न प्रकार की आय को आयकर के लिए प्रभार्य बनाया गया है। अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना अधिनियम की धारा 30 से 43 डी के तहत निर्धारित तरीके से की जानी चाहिए, जो तदनुसार अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रदान की गई है।

धारा 37:

“ 37 जनरल। - (1) कोई भी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं है और धारा में नहीं है)

पूँजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति निर्धारिती), व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय की गणना में अनुमति दी जाएगी।

"लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय

व्यवसाय या पेशा "।

[स्पष्टीकरण 1.] सन्देहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय के लिए

उद्देश्य जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, उसे व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए किया गया नहीं माना जाएगा और इसमें कोई कटौती या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

इस तरह के खर्च का सम्मान।

8. अधिनियम की धारा 37, व्यवसाय या पेशे के लाभ या लाभ से आय की गणना करने के लिए प्रावधानों में से एक है।

अवशिष्ट और सर्वव्यापी प्रावधान जो निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत खर्चों की प्रकृति के अलावा अधिनियम की धारा 30 से 36 के तहत उल्लिखित लोगों के बहिष्करण के लिए सभी खर्चों को शामिल करने का इरादा रखता है। इसलिए, इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है क्योंकि इसमें 'कोई भी खर्च' शामिल है।

इस प्रावधान का दूसरा अधिदेश आय कर आयुक्त जयपुर बनाम है। प्रकाश चंद लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

कि व्यय को व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ के रूप में कर के लिए प्रभार्य आय के तह में आने के लिए व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या खर्च करना होगा।

9. इस बारे में एक अस्पष्टता पैदा हुई कि क्या अधिनियम की धारा 2 (13) के तहत परिभाषित और अधिनियम की धारा 37 के तहत व्यवहार किए गए व्यवसाय में कटौती शामिल होगी जब उक्त व्यय किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाता है जो एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है।

10. चूंकि आयकर अधिनियम, 1922 (इसके बाद) के तहत पारिमेटेरिया प्रावधान की व्याख्या से एक विसंगति पैदा हुई है।

जिसे "पुराना अधिनियम" कहा जाता है), अर्थात। अतः अधिनियम की धारा 10 (1) और (2) का स्पष्टीकरण-1 वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम 21) के माध्यम से पूर्वव्यापी प्रभाव से कानून की पुस्तक में आया।

11. उपरोक्त स्पष्टीकरण को शामिल करने का उद्देश्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र संख्या 772 द्वारा स्पष्ट किया गया था। 23.12.1998 ,

" अवैध खर्चों की अस्वीकृति

20.1 आय-कर अधिनियम की धारा 37 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया कोई भी खर्च जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, उसे व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए किया गया नहीं माना जाएगा। और ऐसे प्रत्यर्पण के संबंध में कोई कटौती या भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस संशोधन के परिणामस्वरूप अस्वीकृति होगी

भुगतान के संबंध में कुछ निर्धारिती द्वारा किए गए दावे

ए. सी.-व्यावसायिक व्यय के रूप में संरक्षण राशि, जबरन वसूली, हफ़्ता, रिश्वत आदि की गणना। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अवैध व्यय

आय की गणना में कटौती स्वीकार्य नहीं है।

20.2 यह संशोधन 1 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा। अप्रैल, 1962 और तदनुसार, निर्धारण के संबंध में लागू होगा।

वर्ष 1962-63 और उसके बाद के वर्ष।

12. स्पष्टीकरण-मैं किसी भी संभावित संदेह को दूर करने के लिए घोषणा करता हूं ताकि किसी के लिए व्यय के रूप में हुए नुकसान की गणना की जा सके।

उद्देश्य जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है। यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि यह व्याख्या स्पष्ट करने वाली प्रकृति की है। बहुत स्पष्ट इरादे के साथ शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करना, आगे संदेह के लिए कोई जगह नहीं देना, इस तथ्य के साथ कि कोई [2023] 7 एस. सी. आर. नहीं है।

इसे चुनौती देते हुए, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है। यह किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी खर्च की कटौती को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है। 'कोई भी खर्च' और 'कोई भी उद्देश्य' शब्दों को उचित सम्मान देना होगा। पुनरावृत्ति मुख्य प्रावधान का एक विधायी स्पष्टीकरण है इस प्रकार, एक स्पष्टीकरण पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो मुख्य प्रावधान की शंकाओं को समझाने और दूर करने के लिए पेश की गई है, पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि सीमित है।

13. हालांकि प्रावधान खर्च नहीं करते हुए खर्च की बात करता है

हानि के एक विशिष्ट संदर्भ में, किसी को स्वीकृत वाणिज्यिक व्यवहार और व्यापार सिद्धांतों को लागू करने के लिए दबाव डालना पड़ता है। यदि किसी को खर्च को एक वंश के रूप में मानना है, तो नुकसान एक प्रजाति बन जाएगी। सभी नुकसान व्यय बन जाएंगे लेकिन इसके विपरीत नहीं। किसी व्यवसाय के चलने से उत्पन्न होने वाले व्यापार में वाणिज्यिक नुकसान और उसके लिए आकस्मिक नुकसान एक कटौती योग्य नुकसान होगा जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बद्रीदास डागा बनाम में निर्धारित किया गया है। सीआईटी,

(1959) एससीआर 690। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित नुकसान परीक्षण और अधिनियम की धारा 37 के तहत खर्च में समानता है। शायद, जब दोनों अवधारणाओं के लेखांकन उपचार की बात आती है तो एक अंतर होता है। इस प्रकार, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अधिनियम की धारा 37 में उल्लिखित 'कोई भी व्यय' शब्द व्यवसाय के दौरान हुए भारी नुकसान को भी शामिल करता है। इसलिए, मैं अपने विद्वान भाई के इस विचार से सहमत हूं कि अधिनियम की धारा 37 और स्पष्टीकरण 1 का वर्तमान मामले में प्रभाव पड़ेगा।

धारा 115 बी. बी. ई.

" धारा 115 बी. बी.-"धारा में निर्दिष्ट आय पर कर।

68 या धारा 69 या धारा 69 क या धारा 69 ख या धारा

69 ℃ या धारा 69 डी। - (1) जहाँ कुल आय निर्धारिती,

(अ)

इसमें कोई भी शामिल है

धारा 68, धारा 69, धारा 69 ए, धारा 69 बी, धारा 69 सी या धारा 69 डी में निर्दिष्ट आय और धारा के तहत दी गई आय की वापसी में परिलक्षित होता है

139 ; या

(ख)

निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित आय में कोई भी आय शामिल है।

धारा 68, धारा 69, धारा 69 ए, धारा में निर्दिष्ट

69 बी, धारा 69 सी या धारा 69 डी, यदि ऐसी आय नहीं है

खंड (ए) के अंतर्गत आता है,

देय आय-कर आय कर आयुक्त जयपुर V का योग होगा।

प्रकाश चैंड लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

((i)

आय की राशि-निर्दिष्ट आय पर गणना किया गया कर

खंड (क) और खंड (ख) में साठ प्रतिशत की दर से;

और

((ख)

आय-कर की राशि जिसके साथ निर्धारिती

यदि उनकी कुल आय कम कर दी गई होती तो उनसे शुल्क लिया जाता।

खंड (i) में निर्दिष्ट आय की राशि द्वारा।

किसी भी व्यय या भत्ते या किसी नुकसान के भुगतान के संबंध में निर्धारिती को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत इस अधिनियम के खंड (ए) और खंड (बी) में निर्दिष्ट अपनी आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी।

उप-धारा (1)। ”

14. अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. आय पर कर लगाने से संबंधित है।

जैसा कि अधिनियम की धारा 68,69 और 69 ए से 69 डी में उल्लेख किया गया है। यदि कोई मामला अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. उप-धारा (1) के तहत आता है, तो आयकर की दर 60 प्रतिशत होगी।

15. इस प्रावधान का उद्देश्य खामियों को भरना और

यह सुनिश्चित करें कि अघोषित धन या तो उत्पन्न किया गया है या उपयोग किया गया है, विशेष रूप से काले धन की प्रकृति में, दंडित किया जाता है। जब वर्ष 2012 में यह प्रावधान लागू किया गया था, तो कर की दर 30 प्रतिशत की दर से तय की गई थी। विधेयक में धारा 68,69 और 69 ए के तहत मानित आय की गणना में निर्धारिती को किसी भी कटौती की अनुमति नहीं देने के उद्देश्य के बारे में भी बताया गया है।

69 अधिनियम का डी। यही कारण था कि कर का बोझ बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बाद में एक संशोधन द्वारा कर की दर को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया।

16. धारा 115 बी. बी. ई. की उप-धारा (2) आन-अब्स्टैंट खंड से शुरू होती है। इसमें निहित किसी भी अन्य प्रावधान पर इसकी प्राथमिकता होगी

अधिनियम, किसी भी व्यय या भत्ते या किसी नुकसान के निपटान के संबंध में कटौती से निपटने के दौरान। दूसरे शब्दों में, गणना में अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऐसी किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उप-धारा (1) के तहत निर्धारिती की आय। वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा एक संशोधन पेश किया गया है जिसमें 'किसी भी नुकसान का भुगतान' को शामिल करने की अनुमति नहीं है। उप-धारा (2) में एक बार फिर नुकसान के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन यह तथ्य कि यह 'किसी भी नुकसान के निपटारे' का संदर्भ देता है, इस पर विचार करते हुए पहले लिए गए दृष्टिकोण को दोहराता है। अधिनियम की धारा 37 की परिधि, कि इस तरह के नुकसान को कम से कम कटौती के उद्देश्य से परीक्षण को लागू करते समय खर्च में पढ़ा जाना चाहिए। स्थिति स्पष्ट करने के लिए यह समझना होगा कि संशोधन [2023] 7 एस. सी. आर.

केवल निर्धारिती के नुकसान को चुकाने के अधिकार के बारे में बात करता है जो यह मानता है कि नुकसान को व्यय के एक पहलू के रूप में माना जाना चाहिए।

17. अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. और धारा 37 (1) के बीच थोड़ी सी परस्पर क्रिया दोनों प्रावधानों पर अधिक प्रकाश डाल सकती है। यदि किसी अपराध या निषिद्ध व्यवसाय के अनुसरण में कोई हानि नहीं लाई जा सकती है

अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. के तहत अधिनियम की धारा 68,69 और 69 ए से 69 डी के तहत निर्धारित आय के लिए, जो अस्पष्ट आय, व्यय आदि से संबंधित है, यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि इसे अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत लाया जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य कुछ संबंध के साथ अतिव्यापी है। धारा 115 बी. बी. ई. एक अनुवर्ती विधान होने के कारण, धारा 37 (1) का सही अर्थ उसी आधार पर समझा जा सकता है।

18. प्रावधानों को समझने के बाद, मैं अब उन निर्णयों पर विचार करूंगा जिन पर बार ने भरोसा किया है क्योंकि वे शासी प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित हैं।

19. बद्रीदास डागा बनाम। सीआईटी, (1959) एससीआर 690

19.1 यह न्यायालय निर्धारिती के एक कर्मचारी द्वारा गबन के कारण हुए नुकसान से निपट रहा था। कटौती के लिए किए गए दावे पर पुराने अधिनियम की धारा 10 (2) की व्याख्या करते समय, जिसके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था, स्वीकृत वाणिज्यिक प्रथाओं और व्यापारिक सिद्धांतों पर भरोसा किया गया था। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कटौती ऐसे मामले में अनुमति थी जहां Act.Thus के तहत कोई निषेध या तो व्यक्त या निहित नहीं है, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी निषेध के अभाव में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, नुकसान की कटौती का दावा तब तक स्वीकार्य है जब तक कि यह सीधे व्यवसाय के संचालन से निकलता है, जो इसके लिए आकस्मिक है। दूसरे शब्दों में, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान शामिल नहीं है, भले ही इसका व्यवसाय से कुछ संबंध हो, अगर इसे व्यवसाय के लिए आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है।

19.2 अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी को व्यवसाय के उद्देश्य से भुगतान किए जाने वाले वेतन का भुगतान सामान्य प्रावधान के तहत कटौती योग्य है, इसलिए, तार्किक रूप से किसी कर्मचारी की कार्रवाई से होने वाला कोई भी नुकसान व्यवसाय के लिए आकस्मिक होगा।

19.3 उपरोक्त पर विचार करते हुए, यह कहा जा सकता है कि पुराने अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत अवशिष्ट सर्वव्यापी प्रावधान में व्यय की कटौती के लिए निर्धारित परीक्षण और वाणिज्यिक प्रथाओं और व्यापार के आधार पर नुकसान की कटौती के लिए परीक्षण के बीच समानता है।

एन. डी. लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.] आईपल्स। इसलिए निर्णय उपरोक्त कथन का समर्थन कर रहा है।

अधिनियम की धारा 37 का ढोंग।

19.4 प्रासंगिक परिच्छेदः

" सवाल यह है कि क्या किसी एजेंट या कर्मचारी द्वारा धन का गबन किया गया है

एस के तहत एक व्यवसाय के लाभ की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं। 10 भारतीय न्यायालयों के समक्ष इस अधिनियम पर बार-बार विचार किया गया है और निर्णय काफी समान नहीं रहे हैं। उन पर चर्चा करने से पहले, यह आवश्यक है कि हम

उन सिद्धांतों की जांच करें जो कानून में लागू होते हैं

प्रश्न का निर्धारण। तीन आधार बनाए गए हैं।

कटौती के दावे के समर्थन में आगे बढ़नाः (1) कि गबन के कारण होने वाला नुकसान एक बुरा ऋण है जो इसके तहत स्वीकार्य है।

एस. 10 (2) (xi) अधिनियम का; (2) कि यह एस के भीतर आने वाला एक व्यावसायिक व्यय है। 10 (2) (xv) अधिनियम का; और (3) कि यह एक व्यापारिक हानि है, जिसे निम्नलिखित लाभों की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। एस. 10 (1) अधिनियम से। जहां तक पहले आधार का संबंध है, अधिकारियों ने

लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि कटौती के तहत स्वीकार्य नहीं है

एस. 10 (2) (xi) अधिनियम का, और यह, हमारे विचार में, सही है। एक ऋण पार्टियों के बीच एक अनुबंध से उत्पन्न होता है, व्यक्त या निहित,

और जब कोई अभिकर्ता अपने धन का दुरुपयोग करता है

नियोक्ता द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी करने और उसके प्रति अपने दायित्वों का उल्लंघन करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह किसी भी समझौते के तहत उन धन का बकाया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उस राशि को चुकाने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है, लेकिन यह एक अनुबंध, व्यक्त या निहित से उत्पन्न होने वाला दायित्व नहीं है। न ही इससे कोई फर्क पड़ता है कि व्यवसाय के खातों में

गबन की गई राशि को डेबिट के रूप में दिखाया जाता है, प्राप्त की गई राशि

उनके लिए, यदि कोई हो, क्रेडिट के रूप में, और शेष राशि को अंततः बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। वे केवल खातों को समायोजित करने वाली पत्रिका प्रविष्टियाँ हैं और संविदात्मक दायित्व का आयात नहीं करती हैं। न ही एस के तहत कटौती के दावे को स्वीकार किया जा सकता है। 10 (2) (xv), क्योंकि पैसे जो निकाले जाते हैं कर्मचारी द्वारा बिना किसी अधिकार के व्यवसाय से बाहर

मालिक की धोखाधड़ी को किसी भी अर्थ में "एक व्यय" नहीं कहा जा सकता है।

के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या खर्च किया गया व्यवसाय को। इसलिए विवाद खुद को संकुचित कर देता है

सवाल यह है कि क्या किसी द्वारा गबन के माध्यम से राशि का नुकसान हुआ है

कर्मचारी एक व्यापारिक हानि है जिसे एस के तहत व्यवसाय के लाभ की गणना में काटा जा सकता है। 10 (1) . यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि धारा, 10 (1) किसी व्यापार के लाभ या लाभ पर शुल्क लगाती है, यह [2023] 7 एस. सी. आर. लगाती है।

यह नहीं बताते कि उन लाभों की गणना कैसे की जानी है। धारा 10 (2) विभिन्न मदों की गणना करती है जो कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं, लेकिन यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वे उन सभी भत्तों से पूर्ण नहीं हैं जो एस के तहत कर योग्य लाभ का पता लगाने में किए जा सकते हैं। 10 (1) . आयकर आयुक्त बनाम। चिटनाविस [(1932) एल. आर. 59 आई. ए. 290 , 296 , 297] निर्णय के लिए बिंदु यह था कि क्या एस के तहत एक खराब ऋण की कटौती की जा सकती है। 10 (1) अधिनियम में, जैसा कि उस समय था, एस के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं था। 10 (2) (xi) ऐसे ऋण की कटौती के लिए। सवाल के जवाब में

सकारात्मक रूप से, लॉर्ड रसेल ने कहाः

" यद्यपि अधिनियम कहीं भी कटौती को अधिकृत नहीं करता है।

व्यवसाय के खराब ऋणों में, इस तरह की कटौती आवश्यक है

स्वीकार्य है। के संबंध में आयकर में क्या प्रभार्य हैं

व्यवसाय एक वर्ष का लाभ और लाभ है और एक वर्ष के लाभ और लाभ की राशि का आकलन करने में आवश्यक रूप से किए गए सभी नुकसानों का हिसाब लिया जाना चाहिए, अन्यथा आप वास्तविक लाभ और लाभ पर नहीं पहुंचेंगे।

इसी तरह यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि लाभ और लाभ जिन पर एस के तहत कर लगाया जाना चाहिए। 10 (1) जिन्हें सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार ऐसा माना जाता है। 'लाभ' शब्द को समझना चाहिए ', लॉर्ड हैल्सबरी ने ग्रेशम लाइफ एस्योरेंस सोसाइटी बनाम में कहा। स्टाइल्स [(1892) एसी 309,315: 3 टी. सी. 185,188] "अपने स्वाभाविक और उचित अर्थों में-एक ऐसे अर्थ में जिसे कोई भी व्यापारी गलत नहीं समझेगा।" इनका उल्लेख करते हुए

अवलोकन लॉर्ड मैकमिलन ने पांडिचेरी रेलवे कं. वी. में कहा। आयकर आयुक्त [(1931) एल. आर. 58 आई. ए. 239,252]:

" अंग्रेजी अधिकारियों का उपयोग केवल भारतीय आयकर मामलों के विचार में सावधानी के साथ किया जा सकता है क्योंकि प्रासंगिक विधान में अंतर, लेकिन निर्धारित सिद्धांत

सोसायटी वी। स्टाइल्स [(1892) एसी 309,315: 3 टी. सी. 185,188], अंग्रेजी की विशेषताओं से अप्रभावित सामान्य अनुप्रयोग का है। कर प्रणाली "।

परिणाम यह है कि जब कटौती के लिए दावा किया जाता है जिसके लिए एस में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। 10 (2) , यह स्वीकार्य है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्वीकार किए जाने को ध्यान में रखते हुए

वाणिज्यिक व्यवहार और व्यापार के सिद्धांतों के बारे में कहा जा सकता है कि यह व्यवसाय के संचालन से उत्पन्न होता है और इसके लिए आनुषंगिक है।

यदि आय कर आयुक्त जयपुर v. प्रकाश

एन. डी. लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

जो स्थापित हो जाता है, तो कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते कि इसके खिलाफ कोई निषेध नहीं है, व्यक्त या निहित, अधिनियम।

ये शासी सिद्धांत हैं, यह तय करने में कि क्या

व्यवसाय में किसी कर्मचारी द्वारा गबन के परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान एस के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य है। 10 (1) जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या यह व्यवसाय के संचालन से उत्पन्न होता है और है

इसके लिए प्रासंगिक। एक व्यापारी के रूप में इस प्रश्न को देखते हुए, यह बनाए रखना मुश्किल लगता है कि ऐसा नहीं है। एक व्यवसाय विशेष रूप से कर योग्य लाभ प्राप्त करने के लिए गणना की जाती है जिसे एजेंटों, कैशियरों, क्लर्कों और चपरासियों के माध्यम से चलाया जाता है। वेतन और

उन्हें दिया गया पारिश्रमिक एस के तहत स्वीकार्य है। 10 (2) (xv) व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च के रूप में। अगर नौकरी मिल जाए।

एजेंटों की संख्या व्यवसाय के संचालन के लिए आकस्मिक है, इसे तार्किक रूप से इस बात का पालन करना चाहिए कि जो नुकसान इस तरह के रोजगार के लिए आकस्मिक हैं

व्यवसाय के संचालन के लिए भी आकस्मिक। मानव स्वभाव होने के नाते, किसी कर्मचारी द्वारा ऐसे कर्मचारी के रूप में अपने पद का लाभ उठाने और अपने नियोक्ता के धन का दुरुपयोग करने की संभावना से इनकार करना असंभव है, और इस तरह के दुरुपयोग से होने वाले नुकसान को व्यवसाय के संचालन से उत्पन्न होने और इसके लिए आकस्मिक होने के लिए माना जाना चाहिए। और इस तरह से इसे व्यापार के सामान्य वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार निपटाया जाएगा।

साथ ही, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि नुकसान के लिए

जिसे एस के तहत कटौती की जा सकती है। 10 (1) ऐसा होना चाहिए जो सीधे व्यवसाय के संचालन से उत्पन्न होता है और है इसके लिए आनुषंगिक और निर्धारिती द्वारा कोई नुकसान नहीं, भले ही

इसका उसके व्यवसाय से कुछ संबंध है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चोर रात भर किसी साहूकार के परिसर में घुस जाता है और उसमें सुरक्षित धन लेकर भाग जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप ऋण देने के लिए उसके पास उपलब्ध संसाधनों की कमी और नुकसान, उस अर्थ में, एक व्यावसायिक नुकसान होना चाहिए, लेकिन यह व्यवसाय चलाने में किया गया एक नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा नुकसान है जिसके लिए सभी मालिक ऋण लेते हैं।

संपत्तियों का पता चलता है कि वे व्यापार करते हैं या नहीं। ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे मामले में नुकसान निर्धारिती पर व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि धन के मालिक के रूप में पड़ता है। यह अंतर, हालांकि ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एस के तहत कटौती की जा सकती है या नहीं। 10 (1) या नहीं "।

(जोर दिया गया)

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स। वी. सी. आई. टी. (1961) 2 एस. सी. आर.

651 20.1 उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ दो प्रमुख मुद्दों से संबंधित थी जिन पर हम विचार कर रहे हैं।

उपस्थित हैं। स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि कोई व्यय तब तक कटौती योग्य नहीं है जब तक कि वह व्यापार में वाणिज्यिक नुकसान न हो। कानून के उल्लंघन के लिए किए गए जुर्माने को कभी भी व्यवसाय करने में वाणिज्यिक नुकसान नहीं कहा जा सकता है, इसके अलावा एक असामान्य घटना होने के कारण, इसकी कटौती नहीं की जा सकती है। यह एक व्यापारी के अलावा किसी अन्य चरित्र में निर्धारिती पर पड़ता है। निर्धारिती के नुकसान और व्यवसाय के बीच केवल संबंध कभी भी एकमात्र कारक नहीं हो सकता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो इस न्यायालय ने यह स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है कि दंड को कभी भी इस उद्देश्य के लिए वाणिज्यिक व्यय/हानि के रूप में नहीं समझा जा सकता है। व्यवसाय और न ही लाभ अर्जित करने के लिए किया गया संवितरण। यह आगे नोट किया गया कि ज़ब्ती एक कार्यवाही है, और इसलिए, माल पर जुर्माना लगाया जाता है। यह स्थिति होने के नाते, किसी भी मामले में, एक निर्धारिती व्यवसाय के संचालन या उसके आकस्मिक होने से उत्पन्न होने वाले ज़ब्ती/जुर्माने के मामले में नुकसान की कटौती का दावा नहीं कर सकता है।

20.2 प्रासंगिक परिच्छेदः

" उनके तर्क के समर्थन में अपीलकर्ता फर्म के वकील ने मकबूल हुसैन बनाम का उल्लेख किया। बॉम्बे राज्य आदि [(1953)

एस. सी. आर. 730] और निम्नलिखित मार्ग पर पी। 742 जहाँ भगवती,

जे. ने कहाः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब्ती उन दंडों में से एक है जो सीमा शुल्क अधिकारी लगा सकते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की तुलना में अपराध में कार्यवाही की प्रकृति में अधिक है, जिसका उद्देश्य उल्लंघन करने वाले सामान को जब्त करना है, जिन पर कानून के प्रावधानों के विपरीत कार्रवाई की गई है और जब्ती के संबंध में भी माल के मालिक को एक विकल्प दिया जाता है।

जब्ती के बदले में ऐसा जुर्माना देना जो अधिकारी उचित समझे। यह सब शुल्क के प्रवर्तन और सुरक्षा के लिए है।

समुद्री सीमा शुल्क की वसूली "।

इसी तरह के अवलोकन एस. के. दास, जे., द्वारा किए गए थे।

शेवपुजनराई इंद्रसनराई लिमिटेड बनाम. कलेक्टर

सीमा शुल्क और ओआरएस। [(1959) एस. सी. आर. 821 पी. 836] जहाँ यह कहा गया था कि आर. ई. एम. में कार्रवाई और व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही के बीच अंतर किया जाना चाहिए और माल की जब्ती आय कर का आयुक्त जयपुर v है।

प्रकाश

एन. डी. लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

आर. ई. एम. में कार्यवाही की जाती है और माल के खिलाफ दंड लागू किया जाता है चाहे अपराधी ज्ञात हो या नहीं। अपीलार्थियों के वकील लियो रॉय फ्रे बनाम द्वारा उद्धृत अन्य दो मामलों में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। अधीक्षक, जिला जेल, अमृतसर [(1958) एससीआर 822] और थॉमस डाना बनाम। पंजाब राज्य [1959 पूरक (1) एस. सी. आर. 274 पी. 298] एक ही है। दाना मामले में [(1959) एस. सी. आर. 821 पी. 836] जे. सुब्बा राव ने पी. 298 :

" यदि संबंधित प्राधिकारी इसे जब्त करने का आदेश देता है

केवल आर. ई. एम. में एक कार्यवाही है और माल के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी ओर, यदि यह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाता है, तो यह उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही है।

और उसे अपराध करने के लिए दंडित किया जाता है। यह इस प्रकार है कि जब्ती के मामले में इसके खिलाफ कोई अभियोजन नहीं है

व्यक्ति या उस पर दंड का अधिरोपण।

मकबूल हुसैन के मामले में [(1953) एस. सी. आर. 730] निर्णय के लिए सवाल यह था कि क्या समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही किए जाने के बाद एक आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और वह दोहरे खतरे की याचिका पर भरोसा कर सकता है या नहीं, यह माना गया कि वह नहीं कर सकता। शेवपुजनराई मामले में [(1959) एस. सी. आर. 821 पी. 836] यह तर्क दिया गया कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत कार्यवाही किए जाने के बाद सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई करने के लिए खुला नहीं था। अन्य दो मामले मकबूल के समान थे। हुसैन मामला [(1953) एससीआर 730]। अब हमारे सामने जो विवाद उठाया गया है वह काफी अलग है। वर्तमान में क्या तय किया जाना है

मामला यह है कि क्या जुर्माना जो अपीलार्थी फर्म द्वारा दिया गया था एस के भीतर एक स्वीकार्य कटौती थी। 10 (2) (आय-कर अधिनियम का xv) जो प्रदान करता हैः

एस. 10. (2) (xv) "कोई भी व्यय (जो पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है) निर्धारित या

ऐसे उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया व्यवसाय, पेशा या व्यवसाय "।

"ऐसे व्यवसाय के उद्देश्य के लिए" शब्दों का अर्थ अंतर्देशीय राजस्व v में किया गया है। एंग्लो ब्रूइंग कंपनी लिमिटेड [(1925) 12 टी. सी. 803,813] का अर्थ है "व्यापार को जारी रखने और इसे भुगतान करने के उद्देश्य से"। भत्ते की अनिवार्य शर्त यह है कि व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से ऐसे व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित या खर्च किया जाना चाहिए था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले का निर्णय लेने में, कुछ अंग्रेजी मामलों में निर्णयों का संदर्भ फलदायी होगा। अंतर्देशीय आयुक्तों में

राजस्व बनाम। वार्न्स एंड कंपनी [(1919) 2 के. बी. 444], तेल निर्यातकों का व्यवसाय करने वाले निर्धारिती पर आदेशों के उल्लंघन के लिए समुद्री सीमा शुल्क समेकन अधिनियम के तहत महान्यायवादी द्वारा प्रदर्शित जानकारी पर दंड के लिए मुकदमा चलाया गया था और

घोषणाएँ। इस मामले का निपटारा निर्धारिती की सहमति से किया गया था जो £2000 के कम किए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए सहमत था। निर्धारिती की नैतिक दोषसिद्धि पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए गए। जिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह जानकारी दर्ज की गई थी और जुर्माना दिया गया था, वह भारतीय सागर सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के समान था। इस राशि को उचित कटौती नहीं माना गया था

क्योंकि एस के समान प्रावधान के भीतर होने के लिए। 10 (2) (xv) भारतीय अधिनियम का नुकसान वाणिज्यिक दायरे में कुछ होना चाहिए था। विचार और वाणिज्यिक हानि की प्रकृति में। रॉलेट, जे., स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी बनाम में लॉर्ड लॉरबर्न, एल. सी. के अवलोकन पर भरोसा करते हुए। वुडीफील्ड [(1906) ए. सी. 448] ने पी. 452 :

" लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के दंडात्मक दायित्व को किसी व्यापार से जुड़े या उससे उत्पन्न होने वाले नुकसान के रूप में नहीं माना जा सकता है। मेरा मानना है कि किसी व्यापार से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाला नुकसान, किसी भी दर पर, नुकसान की प्रकृति में कुछ ऐसा होना चाहिए जो विचारणीय और वाणिज्यिक नुकसान की प्रकृति में हो। मैं करता हूँ। यह एक संपूर्ण परिभाषा होने का इरादा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कहना संभव है कि जब कोई जुर्माना जो वर्तमान मामले में जुर्माना है, किसी व्यापारिक निकाय पर लगाया गया है, तो यह कहा जा सकता है कि यह एक 'नुकसान' है जो इससे जुड़ा है, या उत्पन्न हो रहा है।

इस नियम के अर्थ के भीतर व्यापार से बाहर "।

कानून के इस कथन को मंजूरी दी गई थी

अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम। अलेक्जेंडर वॉन ग्लेहन एंड कंपनी लिमिटेड [(1920) 2 KB 553] जहाँ भी इसी तरह की परिस्थितियों में निर्धारिती की सहमति से £3,000 के जुर्माने का भुगतान किया गया था और जुर्माने के साथ लागत को लाभ पर पहुंचने में कटौती के रूप में दावा किया गया था। विशेष आयुक्तों ने पाया था कि

निर्धारिती द्वारा अपने व्यापार को जारी रखने के दौरान जुर्माना और लागतें वहन की गई थीं और इसलिए वे आकस्मिक थीं और

स्वीकार्य कटौती। रॉलेट, जे. ने एक संदर्भ पर इसे एक गैर-कटौती योग्य वस्तु माना। इस फैसले की पुष्टि अपील न्यायालय की अपील पर की गई थी। लॉर्ड स्टर्नडेल, एम. आर., की राय आय कर आयुक्त जयपुर बनाम।

प्रकाश

एन. डी. लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तकनीकी रूप से कार्यवाही आपराधिक थी या नहीं। जो पैसा दिया गया था वह जुर्माने के रूप में दिया गया था

और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानकारी में इसे ज़ब्त कहा गया था।

उस मामले में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उनके लिए कोई नैतिक झुकाव नहीं माना गया था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यय के उल्लंघन के परिणामस्वरूप खर्च किया गया था या नहीं

कानून या क्या यह एक अवैध कार्य करने के लिए दंड था। पी. 565 लॉर्ड स्टर्नडेल ने कहाः

" अब यहाँ क्या स्थिति है? इस व्यवसाय को कानून के किसी भी उल्लंघन के बिना पूरी तरह से चलाया जा सकता है। यह जुर्माना कानून के उल्लंघन के कारण लगाया गया था, और वह

मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी में भुगतान किए जाने वाले खर्च से अधिक कुछ नहीं है। वुडीफील्ड [(1906) एसी 448] लॉर्ड डेवी को एक संवितरण या व्यय के रूप में दिखाई दिया।

जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित या व्यय किया गया था

व्यापार "।

वॉरिंगटन, एल. जे. ने पी. में कहा। 569 :

" यह एक ऐसी राशि है जिसका व्यापार करने वाले व्यक्तियों को भुगतान करना पड़ा है क्योंकि इसके संचालन में उन्होंने ऐसा कार्य किया है ताकि वे इस जुर्माने के लिए खुद को उत्तरदायी बना सकें। यह एक वाणिज्यिक नुकसान नहीं है, और मुझे लगता है कि जब अधिनियम इस तरह के व्यापार से जुड़े या उत्पन्न होने वाले नुकसान की बात करता है तो इसका मतलब एक वाणिज्यिक नुकसान है, जो व्यापार से जुड़ा या उत्पन्न होता है।

स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी वी. वुडीफील्ड [(1906) एसी 448] एक शराब बनाने वाली कंपनी के पास एक लाइसेंस प्राप्त घर था जिसमें वे सराय-रखवालों का व्यवसाय करते थे। उन्होंने नुकसान का भुगतान करने का दायित्व वहन किया आगंतुक को लगी चोटों के कारण, चिमनी के गिरने से। इस राशि को लाभ की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं माना गया था। लॉर्ड लॉरेबर्न, एल. सी. ने अपने भाषण में कहा कि किसी भी राशि की कटौती तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि यह पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या इस तरह के व्यापार के उद्देश्य के लिए खर्च किया गया धन न हो और केवल ऐसे नुकसान की कटौती की जा सकती है जो इसके साथ इस अर्थ में जुड़े थे कि वे वास्तव में व्यापार के लिए आकस्मिक थे और उनकी कटौती नहीं की जा सकती थी यदि वे मुख्य रूप से किसी अन्य व्यवसाय के लिए आकस्मिक थे या एक व्यापारी के अलावा किसी अन्य चरित्र में व्यापारी पर गिरते थे। लॉर्ड डेवी ने कहाः

" मुझे लगता है कि अनुमत संवितरण ऐसे हैं जो उस उद्देश्य के लिए किए गए हैं। यह पर्याप्त नहीं है कि संवितरण किया जाता है व्यापार का क्रम, या उससे उत्पन्न होता है, या व्यापार से जुड़ा होता है या व्यापार के लाभों से बनाया जाता है। इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया जाना चाहिए।

लार्ड स्टर्नडेल के निर्णय से निम्नलिखित अंश पी। 566

वॉन ग्लेहन मामले में [(1920) 2 KB 553] जिसमें से हम पहले ही उद्धृत कर चुके हैं, एक के परिणामस्वरूप दंड लगाने के प्रभाव को दर्शाता है कानून का उल्लंघनः

कंपनी को व्यक्तिगत रूप से, जहाँ तक किसी कंपनी को एक व्यक्ति माना जा सकता है, उस कानून के उल्लंघन के लिए जो उसने किया था। बहुत सटीक भाषा में अंतर करना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यापार में वाणिज्यिक नुकसान और कानून के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी पर लगाए गए दंड के बीच अंतर है।

उन्होंने उस व्यापार में प्रतिबद्धता जताई है। इस कारण से मुझे लगता है कि इस मामले में रॉलेट, जे. और उनके पूर्व दोनों का निर्णय।

अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम चेतावनी &

क. [(1919) 2 के. बी. 444] जिसका उन्होंने अनुसरण किया वह सही था, और वह

इस अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।

स्पोफोर्थ और प्रिंस वी। ग्लाइडर [(1945) 26 टी. सी. 310] निर्धारिती चार्टर्ड एकाउंटेंटों की एक फर्म थी, जिसने एक के संबंध में भुगतान किए गए कुछ कानूनी खर्चों के लिए कटौती का दावा किया था। पुलिस अदालत में भागीदारों में से एक का सफल बचाव। निर्धारिती फर्म ने मामलों के संबंध में कानूनी सलाह भी मांगी

कुछ कार्यवाही से जुड़ा हुआ। मूल्यांकन फर्म को फिर से समन जारी किया गया लेकिन अंततः उन्हें खारिज कर दिया गया। निर्धारिती ने तर्क दिया कि कार्यवाही के संबंध में की गई पूरी लागत "पूरी तरह से और विशेष रूप से" अपीलार्थी के पेशे के लिए निर्धारित या खर्च की गई थी और इसलिए स्वीकार्य थी।

कटौती। विशेष आयुक्त ने आय कर आयुक्त जयपुर बनाम के खिलाफ फैसला सुनाया था।

प्रकाश

एन. डी. लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

निर्धारिती जिसे न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी में लॉर्ड डेवी द्वारा निर्धारित परीक्षण। वुडीफील्ड [(1906) एसी 448] को लागू किया गया था और उस परीक्षण को लागू करते हुए यह माना गया था कि कानूनी सलाह प्राप्त करने के खर्चों को छोड़कर अन्य खर्च स्वीकार्य नहीं थे।

फैरी वी। हॉल [(1947) 28 टी. सी. 200] एफ, एक चीनी दलाल था

मानहानि के लिए उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया और न्यायालय ने माना कि एफ ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया था और विशेषाधिकार का बचाव प्रबल नहीं हो सकता था और उसके खिलाफ हर्जाना दिया। एफ ने एक स्वीकार्य कटौती के रूप में नुकसान की राशि का दावा करने की मांग करते हुए कहा कि यह एक ऐसा व्यय था जो पूरी तरह से और विशेष रूप से उसके व्यापार के उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया था या व्यापार से जुड़ा या उससे उत्पन्न होने वाला नुकसान था। उपर्युक्त मामलों पर निर्भर करते हुए इस राशि की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि यह निर्धारिती पर एक प्रतिद्वंद्वी चीनी दलाल के पूर्व छात्र के रूप में उसके चरित्र में पड़ता था और यह केवल एक चीनी दलाल के रूप में उसके व्यापार से दूर से जुड़ा हुआ था। इसलिए इसे विशेष रूप से और पूरी तरह से उनके व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं किया गया था। हमें न्यूसन बनाम में डैंकवर्ट्स, जे. की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया था। रॉबर्टसन [(1952) 33 टी. सी. 452 पी. 459] जहाँ यह कहा गया था कि यदि व्यय कर दाता द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्यों सहित एक से अधिक उद्देश्यों के लिए इस अर्थ में किया जाता है कि

व्यापार के लाभ अर्जित करने और किसी बाहरी उद्देश्य के लिए किए गए खर्चों का दावा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है।

व्यापार के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय नहीं किया जा रहा है। उस मामले में बैरिस्टर द्वारा दावा किए गए खर्च

उनके घर और उनके कक्षों के बीच यात्रा करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि यात्रा में उनका उद्देश्य और उद्देश्य मिश्रित था और पूरी तरह से और विशेष रूप से पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं था।

अब भारतीय मामलों पर आते हैं; मास्क में और

को. वी. आय-कर आयुक्त, मद्रास [(1943) 11 आई. टी. आर. 454] निर्धारिती ने अपने अनुबंध का उल्लंघन करते हुए कम दर पर पटाखे बेचे और अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने के लिए उसके खिलाफ एक डिक्री पारित की गई, जिसे उसने एक स्वीकार्य कटौती के रूप में दावा किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि निर्धारिती ने दिए गए वचन की अवहेलना की थी और उसका आचरण स्पष्ट रूप से बेईमान था, इसलिए यह एक स्वीकार्य व्यय नहीं था। सर लियोनेल लीच, सी. जे. ने वार्न के मामले [(1919) 2 के. बी. 444] और वॉन ग्लेहन के मामले [(1920) 2 के. बी. 553] का उल्लेख करने के बाद कहा कि यह राशि धारा 10 (2) (xii) के भीतर आने वाले व्यय का गठन नहीं करती है। मद्रास उच्च न्यायालय [2023] 7 एस. सी. आर.

एस के तहत। 10 (2) (xv)। उस स्थिति में निर्धारिती को परिसमापन का भुगतान करना पड़ता था। नुकसान जो सार्वजनिक नीति का विरोध करने वाले कार्य के लिए किए गए दंड के समान था-कॉफी बाजार विस्तार अधिनियम, 1942 के अंतर्गत एक नीति, और जिसे लागू करने के लिए कॉफी बोर्ड पर छोड़ दिया गया था।

बहस के दौरान संदर्भ भी दिया गया था

आय आयुक्त को-कर v. हिरजी [(1953) एससीआर 714]। उस मामले में निर्धारिती पर जमाखोरी और लाभ अध्यादेश के तहत मुकदमा चलाया गया था, लेकिन अंत में उसे बरी कर दिया गया और एस के तहत अपना बचाव करने में खर्च की गई राशि का दावा किया गया। 10 (2) (xv) अपने मूल्यांकन में। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक सफल और असफल बचाव पर कानूनी खर्चों के बीच का अंतर सही नहीं था और एस के तहत ऐसे खर्चों की कटौती योग्य थी। 10 (2) (xv)

उस व्यवसाय के संबंध में कानूनी कार्यवाही की प्रकृति और उद्देश्य पर निर्भर होना चाहिए जिसका लाभ गणना में है और कार्यवाही के अंतिम परिणाम से अप्रभावित है।

इन मामलों की समीक्षा से पता चलता है कि जो खर्च हैं

कटौती की अनुमति ऐसी है जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है अर्थात किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए और उस व्यवसाय में लाभ अर्जित करें। यह पर्याप्त नहीं है कि संवितरण व्यवसाय के लाभ के क्रम में या उससे उत्पन्न होते हैं या उससे संबंधित होते हैं या उससे किए जाते हैं, लेकिन वे व्यवसाय के लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से भी होने चाहिए। जैसा कि वॉन ग्लेहन के मामले में बताया गया था [(1920) 2 KB 553] एक व्यय तब तक कटौती योग्य नहीं है जब तक कि यह व्यापार में वाणिज्यिक नुकसान न हो और व्यापार के दौरान कानून के उल्लंघन के लिए लगाए गए दंड को इस तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी निर्धारिती द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है

उसका व्यवसाय, क्योंकि उसके संचालन में उसने इस तरह से काम किया है, जिसने उसे दंड के लिए उत्तरदायी बना दिया है, इसे कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह एक व्यावसायिक नुकसान होना चाहिए और इसकी प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे दंड जो किसी निर्धारिती द्वारा उसके विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही में लगाए जाते हैं - कानून के उल्लंघन को किसी निर्धारिती द्वारा अपना व्यवसाय चलाने में किया गया वाणिज्यिक नुकसान नहीं कहा जा सकता है। कानून का उल्लंघन है

व्यवसाय की एक सामान्य घटना नहीं है और इसलिए केवल इस तरह की संवितरण की कटौती की जा सकती है क्योंकि यह वास्तव में आय कर आयुक्त जयपुर बनाम के लिए आकस्मिक है।

प्रकाश हैंड लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

खुद का व्यवसाय। यदि वे किसी व्यापारी के अलावा किसी अन्य रूप में निर्धारिती पर पड़ते हैं तो उनकी कटौती नहीं की जा सकती है। अतः जहाँ किसी विशिष्ट वैधानिक उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाता है।

प्रावधान, इसे एक व्यापारी के रूप में निर्धारिती पर पड़ने वाला वाणिज्यिक नुकसान नहीं कहा जा सकता है-परीक्षण यह है कि जो खर्च किसी व्यक्ति को व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए व्यापार करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से हैं, उनकी अनुमति है, लेकिन तब नहीं जब वे केवल

व्यवसाय से जुड़े।

यह तर्क दिया गया था कि जब तक कि जुर्माना एक ऐसी प्रकृति का नहीं है जो निर्धारिती के लिए व्यक्तिगत है और यदि यह केवल इसके खिलाफ आदेश दिया गया है

आयातित माल एक स्वीकार्य कटौती है। यह, हमारी राय में, एक गलत अंतर है क्योंकि संवितरण केवल कटौती योग्य है

यदि यह एस के भीतर आता है। 10 (2) (xv) आय-कर अधिनियम और ऐसी कोई कटौती तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि यह ऊपर चर्चा किए गए मामलों में निर्धारित परीक्षण के भीतर नहीं आती है और इसे पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित व्यय कहा जा सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया जुर्माना, भले ही इसमें किए गए अपराध के लिए लगाए गए जुर्माने के अर्थ में कोई व्यक्तिगत दायित्व शामिल न हो, पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के लिए इस अर्थ में निर्धारित किया गया है क्योंकि उन शब्दों का उपयोग ऊपर चर्चा किए गए मामलों में किया जाता है। हमारी राय में, कानून के उल्लंघन के लिए दंड के रूप में भुगतान किए जाने वाले किसी भी खर्च को ऐसा नहीं कहा जा सकता है

व्यवसाय। व्यक्तिगत दायित्व और हमारे सामने अब जिस तरह के दायित्व के बीच अंतर करने की मांग की गई है, वह टिकाऊ नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी किया जाता है जो कानून का उल्लंघन है और सार्वजनिक नीति के आधार पर जुर्माने के साथ दौरा करने को व्यवसाय के उद्देश्य के लिए वाणिज्यिक व्यय नहीं कहा जा सकता है या

ऐसे लाभ अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए किया गया संवितरण

व्यापार "।

21. सी. आई. टी वी. एस. सी. कोठारी, 1972 (4) एस. सी. सी 402 21.1 बद्रीदास डागा (ऊपर) में दिए गए निर्णय को उद्धृत किया गया था।

अनुमोदन। हालाँकि, यह विचार व्यक्त किया गया था कि यदि लाभ को कर योग्य आय के लिए लिया जाता है, तो परिणामी व्यय/हानि नहीं हो सकती है।व्यवसाय की प्रकृति के बावजूद। हमें एस. सी. कोठारी (ऊपर) में दिए गए निर्णय पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बद्रीदास डागा (ऊपर) के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि

डक्शन क़ानून और वाणिज्यिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है, जबकि [2023] 7 एस. सी. आर.

'व्यवसाय के उद्देश्य' और 'व्यवसाय के लिए आनुषंगिक' की कसौटी को लागू करना, न कि सामान्य सिद्धांत के माध्यम से। अतः, कटौती का गैर-भत्ता एक उद्देश्य के लिए व्यय के रूप में किए गए व्यय के आधार पर जो एक अपराध है या कानून द्वारा निषिद्ध है, एक क़ानून के माध्यम से अन्यथा अस्वीकृत किया जा सकता है। एस. सी. कोठारी (ऊपर) में इस न्यायालय ने केवल अन्य देशों में प्रचलित स्थिति पर ध्यान देते हुए कानून के सामान्य प्रस्ताव को निर्धारित किया था, लेकिन किसी भी मामले में, उसे दंड या जब्ती के मामले में कोई आवेदन नहीं मिला है।

21.2 हाजी अज़ीज़ (ऊपर) में निर्धारित कानून के बावजूद

कानून का उल्लंघन। 21.3 हमें यह भी जोड़ना चाहिए कि एस. सी. कोठारी (उपर्युक्त) में, यह न्यायालय पुराने अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) से संबंधित था, जिसमें अधिनियम की धारा 37 (1) में प्रस्तुत कोई स्पष्टीकरण नहीं था। कानून में इस बाद के बदलाव का निश्चित रूप से इस पर असर पड़ेगा

उक्त निर्णय की समझ।

22. सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी बनाम सीआईटी, (1971) एससीसी ऑनलाइन

एपी 223

22.1 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने जब्ती और जुर्माने के माध्यम से हुए नुकसान की कटौती पर निर्धारित कानून पर विचार किया। इसने एस. सी. कोठारी (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखा। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नुकसान अवश्य होना चाहिए।

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बद्रीदास डागा (उपर्युक्त) में निर्धारित किया गया है, वह सीधे व्यवसाय या व्यापार से उत्पन्न होता है, जो इसके लिए आनुषंगिक है। न्यायालय ने जबकि मकबूल हुसैन बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना। बम्बई राज्य आदि। , (1953) एस. सी. आर. 730 और हाजी अज़ीज़ (उपरोक्त) ने अभिनिर्धारित किया कि किसी निषिद्ध पदार्थ की जब्ती, जो आर. ई. एम. में एक कार्रवाई है, कटौती के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि तर्क की किसी भी प्रक्रिया द्वारा निर्धारिती के व्यवसाय से जुड़े या आकस्मिक व्यापार या वाणिज्यिक नुकसान को नहीं कहा जा सकता है।

22.2 प्रासंगिक परिच्छेदः

" 4. निर्धारिती-फर्म की ओर से श्री स्वामी ने दृढ़ता से तर्क दिया कि जब किसी अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ को कर से छूट नहीं दी जाती है, तो ऐसे व्यवसाय में होने वाले नुकसान को गणना के उद्देश्यों के लिए लाभ या लाभ से काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्धारिती द्वारा देय कर।

आय कर आयुक्त जयपुर V. प्रकाश

एन. डी. लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

5. निर्धारिती द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में जो कर लगाया जाता है, वह किसी विशेष निर्धारण वर्ष का लाभ या लाभ होता है। लाभ का आकलन करते समय, आवश्यक रूप से नुकसान

वर्ष के दौरान व्यवसाय को ध्यान में रखा जाना चाहिए, अन्यथा निर्धारिती द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ तक पहुंचना संभव नहीं है। यह सर्वसम्मत है कि लाभ या आय से जुड़ी अवैधता का दाग कराधान के उद्देश्य के लिए महत्वहीन है। जैसा कि लॉर्ड हाल्डेन ने वित्त मंत्री बनाम. स्मिथ [[1927] ए. सी. 193, 198.] , आय-कर अधिनियम अनिवार्य रूप से केवल वैध व्यवसाय तक ही सीमित नहीं हैं। जो व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है और अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए अभियोजन के लिए उत्तरदायी होते हुए कानून द्वारा निषिद्ध व्यवसाय में व्यापार करता है, वह उसी समय करेगा।

उस समय, अवैध व्यापार या व्यवसाय से अर्जित आय या लाभ में से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। हम अब सोने की जब्ती के कारण सोने के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले नुकसान से चिंतित हैं। सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सोना। क्या उस नुकसान को व्यवसाय से संबंधित वाणिज्यिक नुकसान या निर्धारिती द्वारा किए जा रहे व्यवसाय के लिए आकस्मिक माना जा सकता है?

पर, असली सवाल है।

6. श्री स्वामी ने आयकर आयुक्त बनाम मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले पर मजबूत भरोसा रखने की मांग की। एस. सी. कोठारी [[1968] 69 आई. टी. आर. 1 (गुजरात)।] यह तर्क देना कि निर्धारिती निषिद्ध सोने के मूल्य की कटौती का दावा करने का हकदार है

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया, क्योंकि यह उसके द्वारा किए गए अवैध व्यवसाय में फर्म द्वारा किए गए नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि जब अवैध व्यवसाय आयकर अधिनियम के अर्थ के भीतर व्यवसाय है और यदि अवैध व्यवसाय से होने वाले लाभ पर कर लगाया जा सकता है, तो अवैध व्यवसाय से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखने से इनकार करने का सिद्धांत रूप में या प्राधिकरण पर कोई कारण नहीं है। इनके अनुसार, व्यवसाय के वास्तविक लाभ तक पहुंचने के लिए इस तरह से हुए नुकसान को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस तरह के लाभ

या तो इस अर्थ में सकारात्मक हो कि वे वास्तविक लाभ हैं या वे इस अर्थ में नकारात्मक हो सकते हैं कि वे नुकसान हैं और सिद्धांत रूप में व्यवसाय के लाभ और नुकसान के बीच कोई अंतर नहीं है।

XXX

XXX

XXX

9.कोठारी का मामला [[1968] 69 आई. टी. आर. 1 (गुजरात)।] , जैसा कि उसमें बताए गए तथ्यों से देखा जा सकता है, ऐसा मामला नहीं था जिसमें [2023] 7 एस. सी. आर. के लिए दावा किया गया हो।

निर्धारिती द्वारा कटौती की गई थी, क्योंकि उसने यह नहीं कहा था कि उसके द्वारा किए गए किसी विशेष व्यय की अनुमति दी जानी चाहिए - अनुमेय कटौती। यह उस आधार पर है कि विद्वान न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि आय आयुक्त में निर्णय-कर v. हाजी अज़ीज़

& अब्दुल शकूर ब्रदर्स [[1955] 28 आई. टी. आर. 266 (बम। . , राजस्व द्वारा निर्भर, जहां धारा के तहत कटौती का दावा

10 (2) (1922 के अधिनियम का xv) अस्वीकार कर दिया गया था, उनके समक्ष मामले पर लागू नहीं था। इसलिए कोठारी के मामले में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए उत्तर [[1968] 69 आई. टी. आर. 1 (गुजरात)।] निर्धारिती के तर्क को कोई सहायता न दें।

10. केंद्र सरकार द्वारा जब्त किए गए सोने के मूल्य की कटौती के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया एक विशिष्ट दावा इस आधार पर किया गया है कि यह एक व्यापारिक या वाणिज्यिक नुकसान है, हालांकि व्यापार एक अवैध था। यह नहीं भूलना चाहिए कि कब कटौती का दावा किया जाता है, कि नुकसान वह होना चाहिए जो उगता है।

सीधे उस व्यवसाय या व्यापार से जो निर्धारिती चलाता है या उस व्यवसाय के लिए आनुषंगिक है जिसे वह चलाता है, न कि प्रत्येक व्यवसाय से।

11. यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि प्रतिबंधित सोने की जब्ती आरईएम में एक कार्रवाई है न कि व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही। जैसा कि जे. भगवती ने मकबूल हुसैन बनाम में देखा है। बॉम्बे राज्य [[1953] एस. सी. आर. 730,742 (एस. सी.), ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 325।] ज़ब्त करना निस्संदेह उन दंडों में से एक है जो सीमा शुल्क अधिकारी लगा सकते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की तुलना में आरईएम में कार्यवाही की प्रकृति में अधिक है, जिसका उद्देश्य ज़ब्त करना है उल्लङ्घन करने वाली वस्तुएँ जिन पर कानून के प्रावधानों के विपरीत कार्रवाई की गई है। इसी प्रभाव के लिए एस. के. दास जे. द्वारा शेवपुजनराईइंद्रासनराई लिमिटेड बनाम में व्यक्त किया गया विचार है। कलेक्टर

सीमा शुल्क [[1959] एस. सी. आर. 821,836 (एस. सी.), ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 845।] कि, जहाँ तक माल की जब्ती का संबंध है, यह आर. ई. एम. में एक कार्यवाही है और माल के खिलाफ दंड लागू किया जाता है चाहे अपराधी ज्ञात हो या ज्ञात न हो और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 182 के तहत जब्ती का आदेश सीधे संपत्ति की स्थिति और धारा 184 के तहत संचालित होता है।

सरकार को एक पूर्ण शीर्षक हस्तांतरित करता है। थॉमस दाना बनाम में जे. सुब्बा राव (जैसा कि वे तब थे)। पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 375] , अपने असहमत निर्णय में (असहमति अन्य बिंदुओं पर होने के कारण) कहा कि यदि संबंधित प्राधिकारी आय कर आयुक्त जयपुर v का आदेश देता है।

प्रकाश

एन. डी. लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

जब्ती केवल एक कार्यवाही है और माल के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है। 12. इसलिए, शब्द के सख्त अर्थों में एक कार्यवाही संपत्ति (इस मामले में तस्करी किए गए सोने) के खिलाफ सीधे की गई कार्रवाई है और भले ही अपराधी का पता न हो, सीमा शुल्क अधिकारियों के पास प्रतिबंधित सोने को जब्त करने की शक्ति है।

इसलिए, तर्क की किसी भी प्रक्रिया से ज़ब्त नहीं किया जा सकता है

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निषिद्ध सोने को निर्धारिती के व्यवसाय से जुड़ा या आकस्मिक व्यापारिक या वाणिज्यिक नुकसान कहा जाता है।

13. अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम। अलेक्जेंडर वॉन ग्लेहन एंड कंपनी लिमिटेड [[1920] 2 के. बी. 553,566 (सी. ए.)।] . लॉर्ड स्टर्नडेल एम. आर. ने कहाः

" व्यापार के दौरान इस कंपनी ने एक कानून का उल्लंघन। जैसा कि मैं कहता हूं, इस बात पर सहमति बनी है कि उन्होंने नहीं किया

कुछ भी गलत करने का इरादा इस अर्थ में है कि वे स्वेच्छा से थे और जानबूझकर इन वस्तुओं को दुश्मन के गंतव्य पर भेजना,

लेकिन उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, और उस उल्लंघन के लिए

कानून, उन पर जुर्माना लगाया गया था। कि, जैसा कि मुझे लगता है, एक नहीं था

व्यवसाय से जुड़ा नुकसान, लेकिन उस पर जुर्माना लगाया गया था

कंपनी को व्यक्तिगत रूप से, जहाँ तक एक कंपनी पर विचार किया जा सकता है

एक व्यक्ति होना, उस कानून के उल्लंघन के लिए जो उसने किया था।

शायद यह भेद करना थोड़ा मुश्किल है कि सटीक भाषा , लेकिन मुझे लगता है कि एक अंतर है

कानून के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति या कंपनी पर जो उन्होंने उस व्यापार में प्रतिबद्धता जताई है।

14. लॉर्ड स्टर्नडेल एम. आर. द्वारा कहा गया सिद्धांत यहां भी सही है, क्योंकि यह मानना असंभव है कि प्रतिबंधित सोने की जब्ती के कारण होने वाला नुकसान निर्धारिती-फर्म के व्यापार या व्यवसाय के संबंध में किया गया खर्च है या अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए आकस्मिक है।

XXX

XXX

XXX

16. हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप। वी. आय आयुक्त-कर [[1961] 41 आई. टी. आर. 350 (एस. सी.), [1961] 2 एस. सी. आर. 651 (एस. सी.)।] , पृष्ठ 359 पर देखे गए कई भारतीय और अंग्रेजी मामलों की समीक्षा करने के बादः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" जैसा कि वॉन ग्लेहन के मामले में बताया गया था [[1920] 2 के. बी. 553 (सी. ए.)।] , एक व्यय कटौती योग्य नहीं है जब तक कि यह एक

व्यापार में वाणिज्यिक हानि और व्यापार के दौरान कानून के उल्लंघन के लिए लगाए गए दंड को इस तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता है। यदि अपने व्यवसाय का संचालन करने वाले किसी निर्धारिती द्वारा किसी राशि का भुगतान किया जाता है, क्योंकि इसके संचालन में उसने इस तरह से काम किया है जिससे वह दंड के लिए उत्तरदायी हो गया है, तो इसे कटौती योग्य व्यय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह एक व्यावसायिक नुकसान होना चाहिए और इसकी प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे दंड जो किसी निर्धारिती द्वारा कानून के उल्लंघन के लिए उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में लगाए जाते हैं, उन्हें किसी निर्धारिती द्वारा अपना व्यवसाय चलाने में किया गया वाणिज्यिक नुकसान नहीं कहा जा सकता है। का अतिक्रमण

कानून व्यवसाय की एक सामान्य घटना नहीं है और इसलिए केवल ऐसे संवितरणों की कटौती की जा सकती है जो वास्तव में व्यवसाय के लिए ही आकस्मिक हैं। यदि वे गिरते हैं तो उनकी कटौती नहीं की जा सकती है

एक व्यापारी के अलावा किसी अन्य चरित्र में निर्धारिती।

इसलिए, जहां किसी विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाता है, इसे दंडात्मक दंड नहीं कहा जा सकता है। एक व्यापारी के रूप में निर्धारिती पर पड़ने वाला वाणिज्यिक नुकसान, परीक्षण यह है कि वे खर्च जो किसी व्यक्ति को व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए व्यापार करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से हैं, अनुमति दी जाती है, लेकिन तब नहीं जब वे केवल व्यवसाय से जुड़े हों। ऐसा कुछ भी जो कानून का उल्लंघन है और जिस पर जुर्माना लगाया जाता है, वह सार्वजनिक नीति के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

एक उद्देश्य के लिए एक वाणिज्यिक व्यय कहा जा सकता है

ऐसे व्यवसाय का लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया व्यवसाय या संवितरण।

7. पंजाब द्वारा भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं और

आय-कर [[1961] 43 आई. टी. आर. 36 (पुंज)।] , आय आयुक्त-कर v. मथुरा प्रसाद हरिद्वार प्रसाद देवरिया [[1965] 55 आई. टी. आर. 476 (सभी)।] और महाबीर शुगर मिल्स (पी.)लिमिटेड वी. आय आयुक्त-कर [[1969] 71 आई. टी. आर. 87 (सभी)।]

8. बद्रीदास बनाम में उच्चतम न्यायालय। आय आयुक्त

अक्ष [[1958] 34 आई. टी. आर. 10, [1959] एस. सी. आर. 690 (एस. सी.)।] , इस बात पर विचार किया कि व्यापार में कितना नुकसान होगा। वेंकटरामा अय्यर जे।

bserved:

एन. डी. लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

" जब कटौती के लिए दावा किया जाता है जिसके लिए कोई नहीं है धारा 10 (2) में विशिष्ट प्रावधान, चाहे वह स्वीकार्य हो या

यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि क्या, स्वीकार किए जाने को ध्यान में रखते हुए

व्यवसाय के संचालन से उत्पन्न होना और आकस्मिक होना इसके लिए। यदि यह स्थापित हो जाता है, तो कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए,

बशर्ते कि इसके खिलाफ कोई निषेध नहीं है, व्यक्त या

धारा 10 (1) के तहत बनाया गया ऐसा होना चाहिए जो सीधे पैदा हो। व्यवसाय के संचालन से और यह इसके लिए आकस्मिक है, और

निर्धारिती को कोई नुकसान नहीं हुआ है, भले ही उसमें कुछ नुकसान हो। उसके व्यवसाय से जुड़ाव। "

19. उनके अधिपतियों द्वारा निर्धारित परीक्षण के आधार पर, यह मानना असंभव है कि निषिद्ध सोने की जब्ती, जो कि आरईएम में कार्यवाही की प्रकृति में है, एक ऐसा नुकसान है जो सीधे निर्धारिती-फर्म द्वारा किए गए व्यवसाय या व्यापार से उत्पन्न होता है और इसके व्यवसाय के लिए आकस्मिक है। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बाद लॉर्डशिप्स, राम गोपाल राम सरूप बनाम में पंजाब उच्च न्यायालय।

आय आयुक्त-कर [[1963] 47 आई. टी. आर. 611 (पुंज)।] , माना कि केवल तथ्य यह है कि उनके बीच कुछ दूरस्थ संबंध है हानि और व्यवसाय "आकस्मिक हानि" अभिव्यक्ति के भीतर हानि नहीं लाएगा।

XXX

XXX

XXX

वुडी-फील्ड [[1906] ए. सी. 448,452 (एच. एल.)।] , “ यदि वे मुख्य रूप से किसी अन्य व्यवसाय के लिए आनुषंगिक हैं तो उनकी कटौती नहीं की जा सकती है। व्यापारी के अलावा किसी अन्य चरित्र में व्यापारी पर गिरना। व्यापार की प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए।

23. आय आयुक्त-कर बनाम में यह न्यायालय। चक्का नारायण [[1961] 43 आई. टी. आर. 249 (ए. पी.)।] , रेलवे स्टेशन पर चोरी के कारण किसी निर्धारिती को हुए नुकसान के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि

इसके परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान निर्धारिती के व्यवसाय के लिए आकस्मिक नहीं था और यह एक स्वीकार्य कटौती नहीं थी और यह कि केवल यह तथ्य कि नुकसान और व्यवसाय के बीच कुछ दूरस्थ संबंध था,

"नुकसान को आकस्मिक" अभिव्यक्ति के भीतर नुकसान नहीं लाएगा। तस्करी किए गए सोने को जब्त करने से होने वाला नुकसान व्यवसाय या व्यवसाय के लिए बिल्कुल विदेशी है।

निर्धारिती-फर्म। यह किसी अन्य चरित्र [2023] 7 एस. सी. आर. में हुआ नुकसान है।

एक व्यापारी की तुलना में। सोने की जब्ती, आर. ई. एम. में एक कार्यवाही का परिणाम होने के कारण, पूरी तरह से व्यापार या व्यवसाय से बाहर है।

जिसे निर्धारिती चला रहा था। निषिद्ध वस्तुओं की जब्ती समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान किए गए दंडों में से एक है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अपराधी का पता चला है या नहीं, माल के खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है। कानून का उल्लंघन या उल्लंघन किसी व्यापार या व्यवसाय की सामान्य घटना नहीं है।

और, इसलिए, ज़ब्त करने के माध्यम से जुर्माना

निषिद्ध सोना एक वाणिज्यिक नुकसान नहीं है ताकि एक अनुमेय कटौती के रूप में इसकी अनुमति दी जा सके।

22.3 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का उपरोक्त तर्क इस न्यायालय द्वारा अपने समर्थन में दिए गए पहले के फैसलों पर ध्यान देने के बाद आया, जो अनुमोदन के योग्य है।

23. जे. एस. पारकर बनाम वी. बी. पालेकर और अन्य (1973) एस. सी. सी. ऑनलाइन

बम 161

23.1 बंबई उच्च न्यायालय का अधिकांश दृष्टिकोण सोनी हिंदूजी कुशलजी एंड कंपनी (ऊपर) के अनुरूप था, हालांकि उक्त निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि न्यायमूर्ति मुखी ने न्यायमूर्ति देशपांडे के दृष्टिकोण से असहमति जताई, लेकिन तीसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति तुलजापुरकर ने एक अलग फैसले से न्यायमूर्ति देशपांडे के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। इसलिए, हाजी अज़ीज़ (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के दृष्टिकोण की व्यापक रूप से व्याख्या करते हुए, बहुमत ने कहा कि कानून के उल्लंघन के लिए किए गए माल की जब्ती को व्यवसाय की एक सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता है, और यह नुकसान एक व्यापारी के अलावा किसी अन्य रूप में निर्धारिती पर पड़ता है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह सिद्धांत उस मामले में समान रूप से लागू होगा जहां असहमति जताते हुए व्यवसाय स्वयं कानून द्वारा निषिद्ध है।

प्यारा सिंह (1970) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 429 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के साथ, जो निर्णय उस समय इस न्यायालय तक नहीं पहुंचा था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्यारा सिंह (1970) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 429 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय, हाजी अज़ीज़ (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं था।

23.2 प्रासंगिक परिच्छेदः

न्यायमूर्ति देशपांडेः

" 23. तब यह तर्क दिया जाता है कि, स्वीकार्य रूप से, पूरा सोना सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है और इस तरह, इसके मूल्य को व्यापारिक नुकसान के रूप में माना जाना चाहिए था और

निर्धारिती अपने ओम्मीशनर ऑफ इनकम टैक्स जयपुर बनाम के खिलाफ इस नुकसान के एक सेट-ऑफ का हकदार था।

प्रकाशओ लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अघोषित स्रोतों से अनुमानित और मूल्यांकन की गई आय। रिलायंस को मुख्य रूप से धारा 71 पर रखा गया था, हालांकि धारा 70 का भी उल्लेख किया गया था। यह मुद्दा पहले उठाया गया था

न्यायाधिकरण। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह पहली बार उसके सामने उठाया गया था और उसने सोचा कि आगे के तथ्यों की जांच के बिना इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता है। दुर्भाग्य से, न्यायाधिकरण का आदेश स्पष्ट नहीं है कि आगे के तथ्यों की जांच किस तरह से आवश्यक थी। इसलिए, यह जानना संभव नहीं है कि क्या न्यायाधिकरण उस आय के विरुद्ध, जिसके स्रोत को अवैध नहीं दिखाया गया था, पेटेंट अवैधता से दूषित नुकसान के लिए भुगतान करने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक था या उसने जब्त करके नुकसान को पूंजीगत नुकसान के रूप में माना और इसलिए, पूंजी से आय से कटौती करने के लिए अनिच्छुक था।

धारा 71 के तहत आवश्यकतानुसार लाभ। जो भी हो, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यदि यह रिकॉर्ड पर सामग्री पर निर्णय लेने में सक्षम कानून का एक शुद्ध प्रश्न था, तो न्यायाधिकरण उस पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए एक वैधानिक दायित्व के तहत था। लेकिन मेरा मानना है कि स्वीकार किए गए तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की छूट का दावा करने का अधिकार नहीं है। सोने की जब्ती के परिणामस्वरूप निर्धारिती को हुआ नुकसान

कानून के उल्लंघन को अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत वाणिज्यिक नुकसान नहीं कहा जा सकता है। यह हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त होगा। वी. आय आयुक्त-कर। उच्चतम न्यायालय ने इसी मामले में इस न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा। निर्धारिती द्वारा विदेश से तिथियों का आयात किया गया था

समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन। सीमा शुल्क अधिकारियों ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167 बी के तहत सामान को जब्त कर लिया। हालाँकि, इसने निर्धारिती को दिया,

अधिनियम की धारा 183 के तहत, ज़ब्ती के बदले जुर्माना देने और माल को जारी करने का विकल्प है। निर्धारिती ने इस विकल्प का उपयोग किया और जुर्माने के भुगतान पर माल को छोड़ दिया। निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती ने भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 की धारा 10 (2) (xv) के तहत इस जुर्माना राशि की कटौती का दावा किया। बंबई उच्च न्यायालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना इस तरह के व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या खर्च किए गए किसी भी खर्च के बराबर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि

इस न्यायालय का दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक आधार पर, निम्नानुसार अवलोकन करते हुए:

" एक खर्च तब तक कटौती योग्य नहीं है जब तक कि वह वाणिज्यिक न हो।

व्यापार में हानि और कानून के उल्लंघन के लिए लगाया गया जुर्माना

व्यापार के दौरान इस तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता है।

कानून का उल्लंघन व्यवसाय की सामान्य घटना नहीं है।

और, इसलिए, केवल ऐसे संवितरणों की कटौती की जा सकती है।

कटौती की जाएगी यदि वे किसी चरित्र में निर्धारिती पर आते हैं एक व्यापारी के अलावा "।

XXX

XXX

XXX

" 29. जे. ग्रोवर द्वारा निर्धारित इस परीक्षण को लागू करते हुए, एस. सी. कोठारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोलते हुए और हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बोलते हुए जे. कपूर द्वारा निर्धारित परीक्षण। , इसे करना होगा

अभिनिर्धारित किया जाए कि के उल्लंघन के लिए किए गए माल की जब्ती कानून को व्यवसाय की एक सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता है और इससे निर्धारिती को कुछ चरित्र में नुकसान उठाना पड़ता है।

उक्त व्यवसाय चलाने के प्रयोजनों के लिए या क्योंकि नुकसान उसी शीर्ष के तहत व्यवसाय के कुछ अन्य स्रोतों के तहत किए जाते हैं या वे किसी अन्य शीर्ष के तहत व्यवसाय या व्यवसाय करते समय किए जाते हैं। निषिद्ध व्यापार या व्यवसाय के दौरान किए गए या पीड़ित होने पर भी जुर्माना और माल की जब्ती को इस तरह के गैरकानूनी व्यवसाय की सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार हुए नुकसान को अभी भी उसी कारण से व्यापार में वाणिज्यिक नुकसान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि चोरी, डकैती, गबन या धोखाधड़ी के लाभ को कर योग्य नहीं माना जा सकता है।

किसी भी व्यवसाय या वाणिज्य से आय। इसलिए जब्त किए गए सोने के मूल्य में कटौती के श्री अलबल के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। 30. यह सच है, जैसा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्यारा सिंह के मामले में कहा है, माल की जब्ती का जोखिम ओम्मीशनर ऑफ इनकम टैक्स जयपुर बनाम।

प्रकाशओ लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

और दंड देना किसी भी गैरकानूनी व्यापार या व्यवसाय में अंतर्निहित है। इसी तरह दोषसिद्धि और जुर्माने का जोखिम भी है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह के व्यापार में होने वाली हर तरह की क्षति वाणिज्यिक हानि की श्रेणी में आती है। यह.

हाजी अज़ीज़ और अब्दुल शकूर ब्रदर्स में, किसी भी तरह से, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार पर आयोजित किया जाना होगा। कि

निषिद्ध व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त होने के दौरान की गई संपत्ति की जब्ती या जुर्माना वाणिज्यिक नुकसान के बराबर नहीं है, हालांकि यह वास्तव में "हानि" शब्द के सामान्य अर्थ के अनुसार नुकसान होता है जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है। उपरोक्त उच्चतम न्यायालय में अंतर करने का प्रयास इस आधार पर निर्णय कि अदालत आयकर अधिनियम 1922 की धारा 10 (1) के तहत नहीं, बल्कि धारा 10 (2) (xv) के तहत जुर्माने की कटौती के लिए निर्धारिती के दावे पर विचार कर रही थी, व्यर्थ है। कि, उपरोक्त मामले में, न तो निर्धारिती ने नुकसान के रूप में ऐसे जुर्माने की कटौती का दावा किया

अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत, और न ही सर्वोच्च न्यायालय ने उस उप-धारा के तहत दावे की अनुमति देना उचित समझा, यह भी इस तरह के विवाद की असमर्थता का संकेत है, यदि निर्णायक नहीं है। यद्यपि कटौती का दावा अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत किया गया था, लेकिन दावे की अस्वीकृति व्यापक आधार पर आधारित है कि दंड और जब्ती सामान्य नहीं हैं।

व्यापार की घटनाएँ और वाणिज्यिक हानि नहीं होती हैं। यदि कोई 1922 के अधिनियम की धारा 10 (2) और धारा 24 की योजना और 1961 के अधिनियम की धारा 28,29 से 44 ए और धारा 70 और 71 के संबंधित प्रावधानों की जांच करता है, तो यह देखा जाएगा कि प्रावधान कटौती या संवितरण से संबंधित हैं।

विभिन्न आकस्मिकताओं में अर्जित लाभों से। यदि नुकसान धारा 14 के तहत गिने गए एक ही शीर्ष के तहत एक ही व्यवसाय (आय के स्रोत) में किए जाते हैं, तो वे अधिनियम की धारा 22 (पुराने अधिनियम की धारा 10 (1)) के तहत कटौती के लिए उत्तरदायी हैं। यदि नुकसान एक अलग के तहत किया जाता है

एक ही शीर्ष के तहत आने वाले स्रोत, नुकसान किसी भी अन्य स्रोत की आय से काटे जाने के लिए उत्तरदायी हैं धारा 70 के तहत एक ही शीर्ष। हालाँकि, जब आय के किसी एक शीर्ष के तहत सभी स्रोतों का शुद्ध परिणाम नुकसान होता है, तो धारा 71 के तहत दूसरे शीर्ष के तहत आय से कटौती की जा सकती है। यदि सभी शीर्षों के तहत सभी स्रोतों का शुद्ध परिणाम नुकसान है, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की धारा 72 के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है।

एक्ट करें। धारा 10 (2), खंड (1) से (xvi) के अनुरूप धारा 29 से 44 ए, निम्नलिखित के माध्यम से कटौती या संवितरण से संबंधित हैः

खर्च आदि। ये प्रावधान इस तरीके से संबंधित हैं -

निर्धारिती के शुद्ध कर योग्य लाभ या आय का निर्धारण करना। यदि उच्चतम न्यायालय के फैसले का सही अनुपात यह है कि कानून के उल्लंघन से होने वाला जुर्माना वाणिज्यिक नुकसान नहीं है क्योंकि यह व्यापार या व्यवसाय के लिए आकस्मिक नहीं है, तो यह इस बात से बहुत कम मायने रखता है कि कटौती या छूट का दावा किस गणना के तहत किया जाता है। कि क्या है और क्या आकस्मिक नहीं है के बीच का अंतर बहुत कम है सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा देखा गया

स्वयं। इस निर्णय का अनुपात सभी पर लागू होता है। आकस्मिकताएँ जहाँ इस तरह के गैर-वाणिज्यिक नुकसान की कटौती किसी भी हिसाब से की जानी चाहिए। कि उस मामले में निर्धारिती ने धारा 10 (2) (xv) के तहत जुर्माने की कटौती का दावा किया है, मामले के अनुपात में कोई अंतर नहीं ला सकता है। मुझे पंजाब उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत होना संभव नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला

कोठारी के मामले में उसके दृष्टिकोण का समर्थन करता है। इसके विपरीत, उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों का अनुपात इस अनुपात के विपरीत है।

पंजाब के मामले में "।

स्टाइस तुलजापुरकरः

" 179. मैंने पहले ही हाजी अज़ीज़ में इसका संकेत दिया है। मामला 1 के बदले में लगाए गए दंड या जुर्माने से निपटने के दौरान

व्यवसाय के लिए आनुषंगिक होना चाहिए और इस तरह का नुकसान निर्धारिती पर एक व्यापारी के रूप में उसके चरित्र में भी पड़ना चाहिए। वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या कानून के उल्लंघन के लिए माल की जब्ती के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को वाणिज्यिक नुकसान माना जा सकता है या इसे व्यवसाय के लिए आकस्मिक नुकसान कहा जा सकता है और क्या इसका महत्व है? कहा जाता है कि आय कर आयुक्त जयपुर बनाम के रूप में उनके चरित्र ने उन्हें पीड़ित किया था।

प्रकाशओ लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

व्यापारी? मेरे विचार में, यह निश्चित रूप से व्यवसाय के संचालन से उत्पन्न होने वाला वाणिज्यिक नुकसान नहीं है और न ही इसे सोने के व्यापारी के रूप में निर्धारिती की गतिविधि के लिए आकस्मिक माना जा सकता है; इसके अलावा, इसे नुकसान के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक व्यापारी के रूप में अपने चरित्र में निर्धारिती। यह उन पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पड़ने वाला नुकसान है जिसने कानून का उल्लंघन किया था। माल की जब्ती से होने वाला नुकसान सीधे तौर पर एक अवैध कार्य से हुआ

निर्धारिती द्वारा प्रतिबद्ध, अर्थात्, सोना अर्जित करने के बाद

भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षित अनुमति या अनुमति के बिना और भारत में इसके आयात के लिए कोई शुल्क का भुगतान किए बिना। निश्चित रूप से, एक व्यापारी या व्यवसायी के रूप में निर्धारिती को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जाहिर है, एक सामान्य व्यक्ति को भी

यदि कोई व्यापारी आवश्यक अनुमति के बिना और सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना अपने निजी उपयोग के लिए सोने का आयात करता है, तो वह उस सोने को उससे जब्त करने के दंड के अधीन होगा और इसके परिणामस्वरूप उसे बहुत नुकसान होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इसके परिणामस्वरूप होने वाला नुकसान

कानून के उल्लंघन के लिए निर्धारिती द्वारा माल की जब्ती को व्यापारी के अलावा किसी अन्य रूप में उस पर पड़ने वाले नुकसान के रूप में माना जाना चाहिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, मेरा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 28 के तहत अपनी व्यावसायिक आय की गणना करते समय स्वीकार्य कटौती के रूप में सोने की जब्ती के परिणामस्वरूप उसे हुए नुकसान का दावा करने का हकदार नहीं है।

180. जहाँ तक एस. सी. कोठारी के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है-कौन सा निर्णय दिया गया है

उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-यह देखा जाना चाहिए कि निर्णय केवल इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि किसी भी व्यवसाय की अवैधता आयकर अधिनियम के तहत उसकी शुद्ध आय की गणना करने के उद्देश्य से अप्रासंगिक है और जबकि राजस्व निर्धारिती की आय पर कर लगाने का हकदार है।

गैरकानूनी व्यवसाय से भी अर्जित, निर्धारिती ऐसे गैरकानूनी व्यवसाय से होने वाले नुकसान की कटौती पर जोर देने का भी हकदार है।

व्यवसाय। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित कानून के इस कथन के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ भी, जिस नुकसान के संबंध में कटौती का दावा गैरकानूनी व्यवसाय के लाभ की गणना करते समय किया जा सकता है, वह एक व्यापार नुकसान या वाणिज्यिक नुकसान या नुकसान होना चाहिए, लेकिन निर्धारिती को एक व्यापारी के रूप में अपने चरित्र में भुगतना पड़ा, न कि [2023] 7 एस. सी. आर.

कानून के उल्लंघन के लिए माल की जब्ती के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ जो उसे कुछ क्षमता में नुकसान होगा।

एक व्यापारी के अलावा। इसके अलावा, एस. सी. कोठारी के मामले में न तो गुजरात उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय को इस सवाल पर विचार करना पड़ा कि क्या जुर्माना या माल की जब्ती से होने वाला नुकसान वाणिज्यिक नुकसान के बराबर है या नहीं। वास्तव में, मामले के तथ्यों को निर्धारित करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले के पैराग्राफ 1 में कहा गया है कि रु। 3,40,000 और विषम जिसे कटौती योग्य नुकसान के रूप में दावा किया गया था, निर्धारिती द्वारा मूंगफली के तेल की आपूर्ति के लिए अलग-अलग लोगों के साथ किए गए कुछ लेन-देनों से उत्पन्न हुआ था और निर्धारिती द्वारा यह उम्मीद की गई थी कि वे अनुबंध किए जाएंगे, लेकिन कुछ कारणों से

अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत। इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि एस. सी. के मामले में कानून का बयान दिया गया था। कोठारी असाधारण है लेकिन, सम्मान के साथ, मैं यह बताना चाहूंगा कि निर्णय इस प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार नहीं है कि जुर्माना या ज़ब्ती के रूप में नुकसान हुआ

माल वाणिज्यिक नुकसान के बराबर होता है जिसमें कटौती की जा सकती है जब तक कि

अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत किसी व्यवसाय के शुद्ध लाभ की गणना करना। यह सच है कि प्यारा सिंह के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह राय ली है कि रुपये की नकद राशि जब्त की गई है। 65,500 निर्धारिती से, जो था

सोने की तस्करी की व्यावसायिक गतिविधि में लगे रहने से व्यापार में नुकसान होता है और इसलिए अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत कटौती की जाती है। लेकिन उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पंजाब उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से एस. सी. कोठारी के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

जिसमें, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, न तो गुजरात उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय को इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना या माल की जब्ती से होने वाला नुकसान व्यापार नुकसान या वाणिज्यिक नुकसान के बराबर है। वास्तव में निर्धारिती को हुए नुकसान की प्रकृति वाणिज्यिक थी क्योंकि यह मतभेदों के भुगतान के कारण उत्पन्न हुई थी। बड़े सम्मान के साथ, मैं आयकर आयोग जयपुर बनाम को मनाने में असमर्थ हूं।

प्रकाश चैंड लूनिया (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

मैं प्यारा सिंह के मामले में व्यक्त पंजाब उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत हूं, विशेष रूप से जब यह हाजी अज़ीज़ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों के विपरीत चलता है और अंग्रेजी मामलों में जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने हाजी अज़ीज़ के मामले का फैसला करते समय संदर्भित किया है। दूसरा तर्क कि इस नुकसान को धारा 70 या धारा 71 के तहत अघोषित स्रोत से आय के खिलाफ चुकाने की अनुमति दी जानी चाहिए, श्री अलबल द्वारा दबाव नहीं डाला गया था। उपरोक्त को देखते हुए

जिन दोनों बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिन पर दोनों विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद था, मैं श्री न्यायमूर्ति देशपांडे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं।

23.3 बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय निश्चित रूप से हाजी अज़ीज़ (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुरूप है। दिए गए ठोस कारण पुराने अधिनियम की धारा 10 (1) के दायरे से जुर्माना और जब्ती लेना सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है।

24. आय कर आयुक्त v. प्यारा सिंह, (1980) सप.

एससीसी 166 24.1 यह न्यायालय हाजी अज़ीज़ (ऊपर) में एक समन्वित पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार से भिन्न नहीं था। वास्तव में, उसने उक्त निर्णय को अपनी मंजूरी दे दी। हालाँकि, एस. सी. कोठारी (ऊपर) पर भरोसा किया गया था जिसमें किए गए कानून के उल्लंघन के बीच अंतर किया गया था।

स्वाभाविक रूप से गैरकानूनी व्यवसाय में किए गए व्यवसाय के विपरीत, एक वैध व्यवसाय करना। यह एक वैध प्रत्याशा पर किया गया था कि एक अवैध व्यवसाय में कई नुकसान होंगे जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित नुकसान होगा, जिसे एक सामान्य व्यवसाय में शामिल नहीं किया जा सकता है। 24.2 दोनों मुद्दों पर हाजी अज़ीज़ (ऊपर) में निर्धारित कानून पर अनजाने में ध्यान नहीं दिया गया है, विशेष रूप से जब्ती या जुर्माना लगाने में शामिल कार्यवाही की प्रकृति, जो कि आर. ई. एम. में कार्यवाही है। इस न्यायालय को पुराने अधिनियम की धारा 10 (2) की व्याख्या करते हुए अधिनियम की धारा 37 के तहत उपलब्ध स्पष्टीकरण का लाभ नहीं मिला, इसके अलावा इसमें उल्लिखित सावधानी के शब्द की अनदेखी की गई।

बद्रीदास डागा (ऊपर)।

24.3 हम केवल यह स्थिति स्पष्ट करेंगे कि, किसी भी मामले में, कानून

जैसा कि प्यारा सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है, अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत आने वाले जुर्माने/जब्ती के कारण होने वाले खर्च/नुकसान की कटौती के मामले में कोई आवेदन नहीं हो सकता है, विशेष रूप से स्पष्टीकरण 1 के आलोक में।

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. डॉ. टी. ए. कुरैशी बनाम आयकर आयुक्त, भोपाल (2007) 2 एस. सी. सी. 759

25.1 इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37 के स्पष्टीकरण 1 पर एक आकस्मिक टिप्पणी करते हुए केवल प्यारा सिंह (उपरोक्त) का अनुसरण किया। द.

स्पष्टीकरण 1 के अनुसार अवैध कटौती स्वीकार्य नहीं हो सकती है, हालांकि, यदि जब्ती के बाद, निर्मित माल जब्त कर लिया जाता है, तो उस मामले में कटौती वाणिज्यिक सिद्धांतों पर स्वीकार्य होगी। यह वर्गीकरण कृत्रिम होने के कारण कानून द्वारा नहीं किया गया है, जिसे स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

निष्कर्ष (ओं)

26. उपरोक्त विश्लेषण में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं -

यहाँः

संविधान की धारा 37 में उल्लिखित 'कोई भी व्यय' शब्द

आई.

अधिनियम अपने व्यापक नुकसान में लेता है जो इस दौरान हुआ

व्यवसाय, इसके लिए आकस्मिक होना।

परिणामस्वरूप, किसी भी प्रकार का नुकसान

II.

किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, अधिनियम की धारा 37 के स्पष्टीकरण 1 के संदर्भ में कटौती योग्य नहीं है।

आय कर मिशन जयपुर बनाम. प्रकाशयूएनआईए (डी) टीएचआर। एलआरएस। & एएनआर। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया ऐसा व्यय/हानि जो एक अपराध है, उसे व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से या उसके साथ आनुषंगिक रूप से किया गया नहीं माना जाएगा, और

इसलिए कोई कटौती नहीं की जा सकती है।

जुर्माना या ज़ब्त एक कार्यवाही है, और इसलिए, उसी के अनुसरण में नुकसान कटौती के लिए उपलब्ध नहीं है, चाहे व्यवसाय की प्रकृति कुछ भी हो, क्योंकि जुर्माना या ज़ब्त को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है

कोई भी व्यवसाय। प्यारा सिंह (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय और

डॉ. टी. ए. कुरैशी (ऊपर) हाजी अज़ीज़ (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय और धारा 37 में स्पष्टीकरण 1 को शामिल करने के आलोक में सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं।

उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, मैं यह मानने के लिए इच्छुक हूं कि राजस्व की अनुमति दी जानी चाहिए, हालांकि अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. के बारे में सचेत होने का कोई आवेदन नहीं हो सकता हैऔर प्रकृति में संभावित होना। तदनुसार, जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. आई. टी. ए. सं. 96/2003 और डी. बी. आई. टी. आर. सं. में पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है। नहीं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अभिषेक प्रताप सिंह और शेवाली मोंगा, एलसीआरएएस)